The 823rd meeting of the State Expert Appraisal Committee (SEAC) was held on 29th August, 2025 under the Chairmanship of Shri Rakesh Kumar Shrivastava for the projects which are scheduled in the agenda. Following members attended the meeting in person or through video conferencing -

- 1. Shri Vijay Kumar Ahirwar, Member.
- 2. Dr. Rakesh Kumar Pandey, Member.
- 3. Dr. Sunita Singh, Member.
- 4. Dr. Sushil Manderia, Member.

The Chairman welcomed all the members of the State Expert Appraisal Committee. Before presentation of agenda items- wise the committee discussed and decided to consider the following issues: -

1. Case No P2/1504/2025 SHRI MOHAMMAD RAFIUDDIN, S/O SHRI JAFIRUDDIN, R/O WARD NO – 8, PLOT NO. – 205, SLEEMNABAD, TEHSIL – SLEEMNABAD, DISTRICT – KATANI. (M. P.). 483440, Prior Environment Clearance for M/s CHARGAWAMAL BASALT STONE (GITT), BASALT STONE (GITT), TEHSIL - NARAYANGANJ, DISTRICT - MANDALA, AREA IN GOVT, LAND - NIL, AREA IN FORET LAND - NIL, AREA IN PRIVATE LAND - KHASRA NO. 35/2 S, 38 S., [533506] (B2) (Absent)

प्रकरण पूर्व में सेक की 806वीं बैठक दिनांक 30 / 06 / 2025 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए एवं ऑनलाईन भी नहीं जुड़े।

प्रकरण आज दिनांक 29/8/2024 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री अशोक तिवारी एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार पर्यावरणीय सलाहकार Shri Santosh Kanthal , M/s. Creative Enviro Services, Bhopal उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का	Shri Mohammad Rafiuddin, Quarry Lease holder and his	
नाम व पता	Geologis,	
	C/O Mohammad Jafiruddin, Ward no. 08, Plot no. 205, in	
	front of Masjid, Sleemnabad, Ko	atni. M. P. 483440
खसरा नं./ क्षेत्रफल	35/2 and 38 (निजी नॉन फॉरेस्ट	2.04 hectare.
(सरकारी/निजी)	लेंड)	
स्थल	Village- CHARGAON Tehsil- Narayanganj District Mandla	
	(M.P.).	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश् भीपाल के आदेश पृ. क्रमांक	

	14107-08 दिनांक 26/12/24 के द्वारा 10 वर्ष के लिए स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
लीज क्षेत्र में क्रेशर की	फार्म-1 के पार्ट-बी के सरल क्रमांक 21 अनुसार लीज क्षेत्र में क्रशर	
स्थिति	स्थापित नहीं ।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति	बोर्ड द्वारा जारी स्थापना सम्मति (सीटीई/सीटीओ) की वैधता दिनांक	
की स्थिति	तक वैध है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-54696	
	घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना	
	अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-54696 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण-पत्र	
में अन्य खदानें	क्रमांक 159 दिनांक 30/1/25 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य	
	कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
राष्ट्रीय उद्यान/	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण-पत्र	
अभ्यारण/ एसईजेड से	क्रमांक 159 दिनांक 30/1/25 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में	
दूरी कोर/ जैव	नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित	
विविधता बफर	नहीं है ।	
प्रस्तावित स्थल से	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण-पत्र	
250 मीटर की दूरी पर	क्रमांक १५९ दिनांक ३०/१/२५ अनुसार आवेदित क्षेत्र वन परिक्षेत्र	
वन क्षेत्र की स्थिति	बरेलजा के वन भूमि कक्ष क्रमांक आर.एफ. 552 एवं आर.एफ. 276 की	
	सीमा लाईन से 105 मीटर एवं 205 मीटर की दूरी पर होने से संभाग	
	स्तरीय वन समिति जबलपुर की बैठक दिनांक 23/10/24 द्वारा आवेदित	
	क्षेत्र से निकटतम वन सीमा की ओर 50 मीटर की दूरी छोडकर	
	प्रतिबंधित क्षेत्र में चैनलिंग फेंसिंग करने तथा शासकीय राजस्व वृदिध को	
	इस्टिगत रखते हुए सशर्त सर्वसम्मति से अनापति प्रदान करने का	
	निर्णय लिया गया है ।	
तहसीलदार की अनापति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण-पत्र	
	क्रमांक 159 दिनांक 30/1/25 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव	
	बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व	
	के स्मारक, रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय	
	राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसेः रेडियो स्टेशन, दूरदर्षन, हवाई अड्डा,	
	प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय /नदी / तालाब / बांध / स्टॉप	
	डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा / ग्राम	ग्राम पंचायत चारगाँवमाल जिला मण्डला के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-6	

पंचायत की अनापति	अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपति नहीं
	18
प्रस्तावित स्थल पर	वन भूमि कक्ष क्रमांक आर.एफ. 552 एवं आर.एफ. 276 की सीमा
वृक्षों की वर्तमान	लाईन से 105 मीटर एवं 205 मीटर की दूरी पर
स्थिति	
प्रस्तावित स्थल की	पूर्व दिशा- आबादी - 600 मी
ग्गल इमेज अनुसार	
वर्तमान स्थिति	
प्रस्तावित खदान की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण-पत्र
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में	क्रमांक 175 दिनांक 31/1/25 अनुसार उक्त खदान का समावेश जिला
स्थिति	सर्वेक्षण रिपोर्ट के चेप्टर-13 में कर लिया गया है।

प्रस्तुतीकरण के पश्चात समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए:-

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया की कि लीज आवेदित क्षेत्र वन परिक्षेत्र बरेलजा के वन भूमि कक्ष क्रमांक आर.एफ. 552 एवं आर.एफ. 276 की सीमा लाईन से 105 मीटर एवं 205 मीटर की दूरी पर होने से संभाग स्तरीय वन समिति जबलपुर की बैठक दिनांक 23/10/24 द्वारा आवेदित क्षेत्र से निकटतम वन सीमा की ओर 50 मीटर की दूरी छोडकर प्रतिबंधित क्षेत्र में चैनलिंग फेंसिंग करने तथा शासकीय राजस्व वृदिध को इस्टिगत रखते हुए सशर्त सर्वसम्मित से अनापित प्रदान की गई है.

- लीज क्षेत्र अधिसूचित क्षेत्र में आता है अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा संबंधित ग्राम सभा की पेसा संबंधी अनापति/अभिमत प्राप्त कर प्रस्तुत करें।
- संभाग स्तरीय वन समिति जबलपुर से चैनल फेंसिंग की जो शर्त दी गई उसका पालन नहीं हुआ है
 इस सम्बन्ध में अभिमत देवे।
- The PP shall submit copy of agreement in between Project Proponent and Environment Consultants.
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किये गये ओएम दिनांक 14/01/2025 के परिप्रेक्ष्य में म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कमेन्ट्स/सीटीई की प्रति परिवेश पोर्टल पर अपलोड करें।
- समिति के सुझाए अनुसार संशोधित ईएमपी एवं सी.ई.आर प्रस्तुत करें।

2. <u>Case No 11100/2023 Smt. ANSHU CHOUHAN, R/oVillage Jambura, Tehsil & District -Ujjain (MP)-471901 Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.00 ha. (15000 cum per year) (Khasra No. 311), VillageGunaikhalsa, Tehsil-Ujjain, District-Ujjain (MP) [526373] (EIA- Query Reply.)</u>

Earlier this case was discussed in 807th SEAC meeting dated 03/07/2025 wherein following query was issued: -

After presentation the committee asked PP to submit following information for further consideration of the project: -

- 1. EIA page 20 reveals "crusher stone" it is not in line with proposed mine project. Page 23 table 2.6 details of yearwise production from 2021-21 to 2025-26 are mentioned, please clarify.
- 2. EIA P/78 table 3.11 water sampling station must elaborate type of source for underground & surface water, photographs on page 79 are not Geotag. Inference of U/G & Surface water quality must explain as to what extent water is fit wrt standards IS 10500- 2012 & CPCB categorization.
- 3. EIA P/ 105, photographs of AAQ are not Geotag, location of monitoring equipments seems not in compliance with guidelines . P/133 photographas are not Geotag?
- 4. EIA P/146 reveals reference of district primary census handbook 2024 for Ujjain & World bank data, please clarify the facts.P/170 memberane Bio-reaction treatment is incorporated however, no budge provision in EMP.

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेष पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे आज दिनांक 29/08/2025 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार रीना त्रिवेदी ऑनलाइन, M/s. एपेक्स मिनटेक कन्सलटेंट, उदयपुर उपस्थित हुई और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

PP's Env. Consultant submitted that with reference above query we have incorporated all corrections in the EIA report and enclosing revised EIA report, following correction have made in the report as –

- Correction has been made in 2.9.1 in EIA page 20. Table No. 2.6 Details of year wise production has been corrected as per the approved mining plan on EIA page No. 23.
- EIA Page No. 78 Table No. 3.11 Criteria of Selection of Water Sampling Stations has been added source of ground and surface water. Geotag photographs has been updated on EIA page No. 79. Inference of ground and surface water quality has been explained with respect to standards IS 10500:2012 & CPCB categorization on EIA page No. 94 and 95.

- Photographs of AAQ are updated with Geotagged on EIA page No. 105. Also photographs of ambient noise monitoring are updated with Geotagged on EIA page No. 130.
- Details of estimated population of Ujjain District has been updated on EIA page No. 146. EIA page No. 170 Table 4.2.1 Waste water management has been updated.

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर—15000 घनमीटर / वर्ष
- 2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट प्रस्तावित नही है, अतः लीज क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट स्थापित करने की अनुमित नहीं दी जा सकेगी।
- 3. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।
- 4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 17.20 एवं रिकृरिंग राशि रू. 4.06 .प्रति वर्ष।
- 5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू 1.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

Sr. no.	सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू .में)
1	गांव गुनाई खालसा के भाासकीय विद्यालय मे सौलर पैनल (2 ज्ञॅं) स्थपित करने हेतु राशि प्रदान की जायेगी	1,20,000

6. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षा का रोपण किया जाना प्रस्तावित है। 3. Case No. P2/1780/25, Shri Kuldeep Chitawle S/O: Shri Mohanlal Chitawle R/O-Vill-Palsud, Tehsil-Rajpur, Dist-Barwani (M.P.) State: Madhya Pradesh Prior Environment Clearance for Palsud Stone Quarry in an area of 2.00 ha. [Stone-10,000 m³/year], (Khasra No. 547/1 K (Govt. Land), Village- Palsud, Tehsil-Rajpur, District- Barwani (M.P.) [468391] (DEIAA to SEIAA B2).

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 29/8/2024 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार पर्यावरणीय सलाहकार श्री शिशुपाल वर्मी, Super Tech Environmental Services, Bhopal (M.P.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का	Shri Kuldeep Chitawle S/o Shri Mohanlal Chitawle R/O: Vill-Palsud,	
नाम व पता	Teh-Rajpur, District- Barwani (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल	547/1 K (सरकारी लेंड) 2.0_hectare.	
(सरकारी/निजी)		
स्थल	ग्राम पलसूद, तहसील राजपुर, जिला बड़वानी (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के पत्र क्रमांक 944	
	दिनांक 22/12/2018 के द्वारा 10 वर्ष के लिए स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया	
लीज क्षेत्र में क्रेशर की	आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 33.10 अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर प्रस्तावित	
स्थिति	नहीं है।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इंदौर द्वारा जारी	
की स्थिति	स्थापना/संचालन सम्मति (सीटीई/सीटीओ) की Outward No. 26523, Dated	
	31/8/2023 वैधता दिनांक 16/9/2028 तक है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-10000	
	घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार	
	अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-१००० घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक	
में अन्य खदानें	997 दिनांक 18/6/2025 के अनुसार 500 मीटर की परिधि 01 अन्य खदानें	
	संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 4.978 होता है, अतः प्रकरण बी-2	
	श्रेणी का है।	
राष्ट्रीय उद्यान/	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक	
अभ्यारण एसईजेड /से	997 दिनांक 18/6/2025 के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल	
दूरी कोर/ जैव	पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।	

विविधता बफर	
प्रस्तावित स्थल से	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बडवानी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक
250 मीटर की दूरी पर	·
वन क्षेत्र की स्थिति है।	
तहसीलदार की अनापति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक
तहसालदार पग जनापात	997 दिनांक 18/6/2025 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट,
	शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे
	लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील
	क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन हवाई अङ्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय
	निकाय /नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का
	रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम	कार्यालय नगर परिषद पलसूद जिला 01/12/2015 के अनापत्ति प्रमाण पत्र
पंचायत की अनापत्ति	शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है तो इस निकाय को कोई आपति नही
	होगी ।
प्रस्तावित स्थल पर	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में लगाए गए पेड़ स्थित है
वृक्षों की वर्तमान	
स्थिति	
प्रस्तावि स्थल की	
गूगल इमेज अनुसार	दक्षिण दिशा
वर्तमान स्थिति	उत्खिनपट्टे से दक्षिण दिशा में लगभग 115 मीटर की दूरी पर एक
	संरचना परिलक्षित हो रही है जिसके संबंध मे प्रस्तावक द्वारा कार्यालय
	जल संसाधन उपसंभाग, राजपुर जिला बडवानी (म.प्र.) पत्र क्रमांक
	370/अविलि/2024, दिनांक 06/11/2024 द्वारा ये प्रमाणित किया गया
	की उक्त संरचना जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित कोई भी विभागीय
	संरचना नहीं है अतः विभाग को कोई आपत्ति नहीं है ।
	रार्यणा गुल हे अराः विकास यम यम् आयारा गुल हे ।
	इसके अतिरिक्त, उक्त के संबंध में कार्यालय नगर परिषद् पलसूद, जिला
	बडवानी के पत्र क्रमांक 1811/2024, पलसूद दिनांक 04/10/2024 जारी
	पत्र द्वारा ये प्रमाणित किया गया कि उत्खिनपट्टे के दक्षिण पूर्व दिशा में
	गुजर रहे नाले पर अनुमानित 115 मीटर पर एक पूर्व में निर्मित केसकैड
	समान संरचना है जो कि वर्तमान में टूटकर पूर्ण रूप से अनुपयोगी हो
	गई है।
	संरचना के सम्बन्ध में नगर परिषद् दूवारा यह प्रमाणित किया गया है
	कि नाले पर निर्मित संरचना वर्तमान में किसी भी उपयोग हेतु नहीं बची
	है ना ही इसका भविष्य में कोई इस्तेमाल है एवं अनापत्ति जारी की गयी।

	उक्त प्रमाणीकरण पत्र व जर्जर संरचना की जी.पी.एस. फोटोग्राफस प्रस्तावक द्वारा	
	प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत किये।	
	पूर्व दिशा–	
	उत्खिनपट्टे से दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 30 मीटर पर नाला स्थित है	
	जिसके संबंध में पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि नाले से 50 मीटर	
	तक कोई भी खनन कार्य नहीं किया जावेगा एवं जिसके अंतर्गत गैर खनन क्षेत्र	
	के रूप में लगभग 0.0368 हेक्टेयर का रकबा छोड़ा गया है।	
प्रस्तावि खदान की	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में	नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं32 के सरल क्रमांक-23 एवं 32 पर दर्ज	
स्थिति	*	

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुनः मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गयी जिनका विवरण निम्नानुसार है :

Conditions	Completion status		
Plantation	a) Approx 400 nos. of plants are planted at the ML area and near shelter/site office.b) 50 nos. of plants are also planted at the village areas.		
Wire fencing work	Total Periphery 543m	About 435m periphery of ML is covered with wire fencing.	
		108m fencing is proposed & cost of the same is addressed in EMP	
Garland drain status	Total 350m long	Total 90m long garland drain is constructed partially in the Western periphery of the ML area.	
		Remaining 260 long garland drain will be constructed & the cost is added in the EMP budget sheet.	
Verifiable proof of CER	Different activities for the village welfare are carried out which are: 1) Spreading of OB/waste and leveling work in the Samudaik Bhawan premises. 2) Prizes and Essential materials were provided to the children of the Village School 3) The lessee has regularly contributed to religious and social functions as and when required. 4) During the COVID-19 pandemic, essential food supplies were distributed to the Villagers		

Status of	800 sq.mt of barrier zone of the mine lease area is excavated from which the backfilling
barrier zone	of about 500 sq.mt of area is backfilled with the overburden and the cost for the
	backfilling of the remaining BZ is addressed in the EMP budget sheet.
Proofs of above-mentioned activities/conditions are given at the time of presentation.	

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थरः 10,000 घनमीटर/वर्ष।
- 2. ब्लास्टिंग प्रक्रिया में नियमानुसार सुरक्षात्मक उपायों का अनुपालन करते हुए आसपास के राहगीरों/कृषि भूमि/संरचना/पर्यावरण/जल निकायो/वृक्षों आदि की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
- 3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 9.07 लाख एवं रिक्ररिंग राषि रू. 2.57 लाख प्रति वर्ष।
- 4. सी.इ.आर मद में निम्नानुसार राशि रु 1.25 लाख तथा सी.ई.आर में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 1 वर्ष में पूर्ण किये जाये ।

सी.ई. आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि		
The lessee will install a 2.0 kW capacity solar panel (Excluding Subsidy) at Govt. primary school located in Village Palsud and cost for the maintenance of solar panel. Additionally, the walls of the school will be repaired and whitewashed, with educational and environmental awareness paintings on them. + 5,000/Year upto 3 years (Maintenance)	Rs 1,10,000/- + 5000/Year upto 3 years as maintenance cost	
Total	Rs 1,25,000/-	

5. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि कार्यालय नगर परिषद पलसूद, जिला बड़वानी म.प्र. अनापत्ति प्रमाणपत्र , पत्र क्रमांक 1455/2023 दिनांक 01/12/2015 के माध्यम से द्वारा जारी की गई है। पत्र में क्रमांक 2023 अंकित है जबिक जावक दिनांक में वर्ष 2015 अंकित है अत: वस्तुस्थिति स्पष्ट होते ही प्रकरण पर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार किया जावेगा।

4. <u>Case No 9950/2023 Shri Pratik Vijayvargiya, Owner R/o Village-Sarwani Khurd, Tehsil & District-Ratlam (MP)-457001, Prior Environment Clearance for M/s Sarwani Khurd Crusher Stone Deposit in an area of 3.00 ha. (14820 Cum per annum) (Khasra No. 173 Govt. Land), Village-Turkiyapa, Tehsil-Ratlam, District-Ratlam (MP) [528290] (EIA).</u>

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 29/8/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार Mr. Varun Bhardwaj, M/s Zenith Environment Consultancy, Noida (U.P.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का	Shri Pratik Vijayvargiya, Owner R/o Village-Sarwani Khurd, Tehsil &	
नाम व पता	District-Ratlam (MP)-457001	
खसरा नं./ क्षेत्रफल	173 (सरकारी लेंड)	3.00 hectare.
(सरकारी/निजी)		
स्थल	Village-Turkiyapa, Tehsil-Ratlam, District-Ratlam (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यातय कलेक्टर (खनिज शाखा) जि	न्ना रतलाम के पत्र क्रमांक 2131
	दिनांक 21/12/2022 के द्वारा 10 वर्ष के	लिए स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रकरण	
लीज क्षेत्र में क्रेशर की	आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 16.10 अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर प्रस्तावित	
स्थिति	नहीं।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उज्जैन द्वारा जारी स्थापना	
की स्थिति	सम्मति (सीटीई) की Outward No. 21995 dated: 06/6/2025 वैधता Consent to	
	Establish for setting up of an industrial plant/activities at 171 Village-Sarwani Khurd, Tehsil & District-Ratlam तक है ।	
टॉर	सेक की 653वीं बैठक दिनांक 15/6/2023 को अनुशंसानुसार सिया के पत्र	
	क्रमांक 840 दिनांक 10/7/2023 के द्व	ारा पत्थर-14820 घनमीटर/वर्ष के
	लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके	अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा
	ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत व	की गई है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम्	उत्पादन क्षमता पत्थर-14820
	घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुस	
	अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-14820	घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक	

अन्य खदानें	502 दिनांक 02/3/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि 11 अन्य खदानें	
Jiv 4 Gqivi	संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 22.500 होता है, अतः प्रकरण बी-1	
	-	
	श्रेणी का है।	
राष्ट्रीय उद्यान/	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक	
अभ्यारण एसईजेड /से	502 दिनांक 02/3/2023 के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल	
दूरी कोर/ जैव विविधता	पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
बफर		
प्रस्तावित स्थल से 250	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक	
मीटर की दूरी पर वन	502 दिनांक 02/3/2023 के अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं	
क्षेत्र की स्थिति	き I	
तहसीलदार की अनापति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक	
	502 दिनांक 02/3/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट,	
	शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे	
	लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील	
	क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय	
	निकाय /नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा /	
	पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा / ग्राम	ग्राम पंचायत बिबबड़ौद जिला रतलाम के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 03/10/2022	
पंचायत की अनापति	के अनुसार दिया जाता है तो ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नही है।	
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों	Tree Existing No	
की वर्तमान स्थिति		
प्रस्तावित स्थल की	उत्तर दिशा- River-373 mt.	
गूगल इमेज अनुसार	दक्षिण दिशा- River-75 mt.	
वर्तमान स्थिति		
प्रस्तावित खदान की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में	502 दिनांक 02/3/2023 के अनुसार उक्त उत्खिनटटा को अनुमोदित	
स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शाम्मिलत किया कर लिया जायेगा	
	I	
<u> </u>		

प्रस्तुतीकरण के पश्चात समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्नलिखित जानकारी/संशोधन कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं:-

- 1ण ईआईए रिपोर्ट पेज कमांक 9–12 , टॉर बिंदुओं III,VI,VII,X,XIV,XVI,XXII का रिप्लाई उचित नहीं है इसे सुधार कर प्रस्तुत करें, कुछ टॉर बिंदुओं पर It will be complied. टंकित है, कृपया ईआईए को समग्र रूप से जांच कर उत्तर प्रस्तत करें।
- 2. **ईआईए रिपोर्ट के चैप्टर** 02 **पेज नं 27**, 28 तथा चेप्टर 04 पृष्ठ 100 पर **वर्षवार उत्पादन** 2023–24 से 2027–28 अंकित है, अतः **संशोधन करें।** पृष्ठ 29–31 अनुपलब्ध है। चैप्टर 03, पृष्ठ 48 टेबल 3.10 में जल स्तोत का प्रकार अंकित करें। पृष्ठ 58 3.8.2 में मृदा गुणवत्ता बावत स्पष्ट निष्कर्ष अंकित करें। पृष्ठ 89 पर Conclusion. स्पष्ट अंकित करें।
- 3. जन सुनवाई दिनांक 11 / 12 / 2023 को 2 बजे अपराह्न किया जाना दस्तावेजों से प्रमाणित है तथापि पृष्ठ 111 चैप्टर 07 पर जन सुनवाई हेतु समाचार पत्र मे प्रकाषित सूचना में समय 11 बजे प्रातः का उल्लेख है, वस्तु स्थिति स्पष्ट करें।

29th August, 2025

STATE EXPERT APPRAISAL COMMITTEE MINUTES OF 823rd MEETING

4. समिति द्वारा सुझाए अनुसार संशोधित ईएमपी एवं पौधारोपण प्रस्ताव ।

5. <u>Case No 9953/2023 Shri Pratik Vijayvargiya, Owner R/o Village-Sarwani Khurd, Tehsil & District-Ratlam (MP)-457001, Prior Environment Clearance for M/s Sarwani Crusher Stone Deposit in an area of 2.00 ha. (15200 Cum per annum) (Khasra No. 173 Govt. Land), Village-Turkiyapa, Tehsil-Ratlam, District-Ratlam (MP) [528216] (EIA)</u>

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 29/8/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार Mr. Varun Bhardwaj, M/s Zenith Environment Consultancy, Noida (U.P.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का	Shri Pratik Vijayvargiya, Owner R/o Village-Sarwani Khurd, Tehsil &	
नाम व पता	District-Ratlam (MP)-457001	
खसरा नं./ क्षेत्रफल	173 (सरकारी लेंड)	2.00 hectare.
(सरकारी/निजी)		
स्थल	Village-Turkiyapa, Tehsil-Ratlam, Dist	rict-Ratlam (M.P.).
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के पत्र क्रमांक 2129	
	दिनांक 21/12/2022 के द्वारा 10 वर्ष के	लिए स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रकरण	
लीज क्षेत्र में क्रेशर की	आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 16.10 अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर प्रस्तावित	
स्थिति	नहीं है।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उज्जैन द्वारा जारी स्थापना	
की स्थिति	सम्मति (सीटीई) की Outward No. 21996 dated: 06/6/2025 वैधता Consent to	
	Establish for setting up of an industrial plant/activities at 171 Village-Sarwani Khurd, Tehsil & District-Ratlam तक है ।	
टॉर	सेक की 655वीं बैठक दिनांक 22/6/20	23 को अनुशंसानुसार सिया के पत्र
	क्रमांक 936 दिनांक 24/7/2023 के द्व	ारा पत्थर-15200 घनमीटर/वर्ष के
	लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके	अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा
	ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत व	की गई है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम्	उत्पादन क्षमता पत्थर-15200
	घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है 3	भौर अनुमोदित खनन् योजना अनुसार
	अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-15200	घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला	रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक

503 दिनांक 02/3/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि 11 अन्य खदाने	
संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 22.500 होता है, अतः प्रकरण बी-1	
श्रेणी का है।	
कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक	
503 दिनांक 02/3/2023 के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल	
पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक	
503 दिनांक 02/3/2023 के अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं	
き	
कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक	
503 दिनांक 02/3/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट,	
शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे	
लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील	
क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय	
निकाय /नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा /	
पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।	
ग्राम पंचायत बिबबड़ौद जिला रतलाम के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 24/04/2022	
के अनुसार दिया जाता है तो ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नही है।	
Tree Existing-No	
उत्तर दिशा- River-425 mt.	
दक्षिण-पूर्व दिशा- River-107 mt.	
कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक	
503 दिनांक 02/3/2023 के अनुसार उक्त उत्खनिटटा को अनुमोदित	
अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शाम्मिलित किया कर लिया जायेगा।	

प्रस्तुतीकरण के पश्चात समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्नलिखित जानकारी/संशोधन कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं:-

- 1ण ईआईए रिपोर्ट पेज कमांक 9–12 , टॉर बिंदुओं III,VI,VII,X,XIV,XVI,XXII का रिप्लाई उचित नहीं है इसे सुधार कर प्रस्तुत करें, कुछ टॉर बिंदुओं पर It will be complied. टंकित है, कृपया ईआईए को समग्र रूप से जांच कर उत्तर प्रस्तत करें।
- 2. **ईआईए रिपोर्ट के चैप्टर** 02 **पेज नं 27**, 28 तथा चेप्टर 04 पृष्ठ 100 पर **वर्षवार उत्पादन** 2023–24 से 2027–28 अंकित है, अतः **संशोधन करें।** पृष्ठ 29–31 अनुपलब्ध है। चैप्टर 03, पृष्ठ 48 टेबल 3.10 में जल स्तोत का प्रकार अंकित करें। पृष्ठ 58 3.8.2 में मृदा गुणवत्ता बावत स्पष्ट निष्कर्ष अंकित करें। पृष्ठ 89 पर Conclusion. स्पष्ट अंकित करें।
- 3. जन सुनवाई दिनांक 11/12/2023 को 2 बजे अपराहन किया जाना दस्तावेजों से प्रमाणित है तथापि पृष्ठ 111 चैप्टर 07 पर

29th August, 2025

STATE EXPERT APPRAISAL COMMITTEE MINUTES OF 823rd MEETING

जन सुनवाई हेतु समाचार पत्र मे प्रकाषित सूचना में समय 11 बजे प्रातः का उल्लेख है, वस्तु स्थिति स्पष्ट करें।

4. समिति द्वारा सुझाए अनुसार संशोधित ईएमपी एवं पौधारोपण प्रस्ताव ।

6. Case No P2/1781/2025 Shri Devendra Kumar Jain, Project Proponent, Teori Nh-7, Beside Central Bank of India, tehsil- Bahoriband Dist- Katni (MP) Prior Environment Clearance for M/s Bhaganwara FIRECLAY Mine in an area of 1.51 ha. (13,311 TPA) (Khasra No. . 29) Village: Bhaganwara, Tehsil: Bahoriband, District: Katni (M.P.). [523401] (B2)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत डिया की पर्यावरणीय स्वीकृति के रिएप्राइजल का है, जिसमें आज दिनांक 29/8/2025 को परियोजना प्रस्तावक श्री दीपक भोमिया एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरूण भारद्वाज, मेसर्स Zenith Environment Consultancy उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक का	প্রী devendra kumar jain, Project Proponent, Teori Nh-7, Beside		
नाम व पता	Central Bank of India, tehsil- Bahoriband Dist- Katni (MP)		
खसरा नं./ क्षेत्रफल	29 (सरकारी-नॉन फॉरेस्ट लेंड)	1.51 hectare.	
(सरकारी/निजी)			
स्थल	Village: Bhaganwara, Tehsil: Bahoribar	nd, District: Katni (M.P.).	
लीज स्वीकृति / अनुबंध	लीज पूरक अनुबंध अनुसार दिनांक 19/06	/2049 तक स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं हैं।		
प्रकरण की स्थिति	DEIAA प्रकरण।		
डिया ई.सी. का विवरण	डिया कटनी के पत्र क्रमांक 75 दिनांक 04/07/2016 के द्वारा Fireclay -		
(यदि लागू हो)	13,311 TPA हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।		
लीज क्षेत्र में क्रेशर की	आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 33.10 अनुसार आवेदित स्थल पर क्रेशर		
स्थिति	प्रस्तावित नहीं है ।		
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कटनी के पत्र दिनांक		
की स्थिति	02/06/2021 द्वारा जारी संचालन सम्मति (सीटीओ) Fireclay -13,311 TPA		
	की प्राप्त है जिसकी वैधता दिनांक 14/04/2024 तक थी ।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्प	ादन क्षमता Fireclay -13,311 TPA	
	हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदि	त खनन् योजना अनुसार अधिकतम्	
	उत्पादन क्षमता Fireclay -13,311 TPA है।		
500 मीटर की परिधि में	में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक		
अन्य खदानें	578 दिनांक 05/03/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि 02 अन्य खदान		
	संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 03.31 होता है, अतः प्रकरण बी-2		
	श्रेणी का है।		
राष्ट्रीय उद्यान/	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला	कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक	
अभ्यारण/ एसईजेड से	578 दिनांक 05/03/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल		
दूरी कोर/ जैव विविधता	पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।		

बफर	
प्रस्तावित स्थल से 250	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक
मीटर की दूरी पर वन	578 दिनांक 05/03/2024 अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं
क्षेत्र की स्थिति	है।
तहसीलदार की अनापति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक
	578 दिनांक 05/03/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट,
	शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे
	लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील
	क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय
	निकाय /नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा /
	पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम	ग्राम पंचायत तिहारी जिला कटनी के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 08/06/96
पंचायत की अनापति	अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य का प्रस्ताव पारित ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि लीज क्षेत्र के बेरियर जोन में पेड़ लगे हुए हैं
की वर्तमान स्थिति	जो उनके द्वारा लगाये गये हैं इनमें से कोई भी पेड काटा जाना प्रस्तावित नहीं
	18
प्रस्तावित स्थल की	उत्तर पूर्व दिशा-कच्चा रोड़ 09 मी. 40 मी. का गैर खनन क्षेत्र प्रस्तावित हैं।
गूगल इमेज अनुसार	
वर्तमान स्थिति	
प्रस्तावित खदान की	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में	नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं31 के सरल क्रमांक-7 पर दर्ज है ।
स्थिति	

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई।

डिया ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति।	वायर फेंसिंग 550 मीटर करी गई है (प्रवेश निकास द्वार हेतु 20 मीटर छोड़ने के पश्चात।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर	प्रस्तावित खनन क्षेत्र में 7.50 मीटर बेरियर जोन मैं 30 पौधे लगे हुए हैं

वृक्षारोपण।	
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति।	गारलेण्ड ड्रेन व सेटलिंग टेंक बनाया गया हैं
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	बैंच 1 जिसकी लेवल 432 से 426 हैं तथा गहराई 2-10 मीटर हैं।
रेस्ट षेल्टर, शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था की वर्तमान स्थिति।	सभी सुविधाओं के साथ रेस्ट शेल्टर बना हुआ हैं। खदान क्षेत्र में प्रथमिक चिकित्सा के लिए फस्ट-एड बोक्स भी उपलब्ध करवाया जाएगा।
7.5 मी बैरियर जोन की स्थिति।	बैरियर जोन की स्थिति यथावत है
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट।	सीएसआर के तहत निम्न सामाजिक कार्य किए गए हैं । 1 - मंदिर का सौंदर्यीकरण - 80,000/- 2 - गौशाला का विकास - 1,20,000/- 3 - कंबल वितरण हेतु - 20,000/- 4 - ग्राम पंचायत को रोड की मरम्मत हेतु सहायता - 80,000/- कुल - 3,00,000/-
उत्खनन किया हुआ क्षेत्र	परियोजना क्षेत्र में पुराने खदान गड्ढे का क्षेत्रफल – 0.1476 हेक्टेयर

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विषिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Fireclay-13,311 TPA
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 8.59 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 3.50 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 2.90 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये:-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू.में)
Regarding installation of 3Kw Solar Panel (3yrs Maintainace) Primary School, Village Bhaganwara	2,60,000

The project proponent will arrange for nature-themed paintings to be created at the Primary School, Village Bhaganwara	15,000
Regarding installation of 01 water cooler in Primary School, Village Bhaganwara	15,000
Total	2,90,000

4. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1510 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जावेगा । 7. Case No. P2/1782/25, Shri Rameshwar Yadav S/O: Shri Bheru Singh Yadav R/O-Vill- Tolakhedi, Tehsil- Agar, Dist- Agar Malwa (M.P.) State: Madhya Pradesh Prior Environment Clearance for Amla Stone Quarry in an area of 2.00 ha. [Stone-10,000 m³/year], (Khasra No. 574 (Govt. Land), Village- Amla, Tehsil-Agar, District- Agar Malwa (M.P.) [510226] (DEIAA to SEIAA B2)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 29/8/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार पर्यावरणीय सलाहकार श्री शिशुपाल वर्मी, Super Tech Environmental Services, Bhopal (M.P.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक का	SHREE RAMESHWAR YADAV S/O: -SHREE BHERU SINGH		
नाम व पता	YADAV R/O: TOLAKHEDI, AGAR, DISTRICT: -AGAR MALWA		
·	(MADHYA PRADESH)		
खसरा नं./ क्षेत्रफल	574 (सरकारी भूमि)	2.0 hectare.	
(सरकारी/निजी)			
स्थल	Village: -Amla, Tehsil- Agar, Di	strict: -Agar Malwa (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला आगर मालवा के पत्र क्रमांक 684		
	दिनांक 10/4/2016 के द्वारा 10 वर्ष के	लिए स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।		
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया		
लीज क्षेत्र में क्रेशर की	आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 33.10 अनुसार लीज क्षेत्र में क्रशर प्रस्तावित		
स्थिति	नहीं है।		
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उज्जैन द्वारा जारी संचालन		
स्थिति	सम्मति (सीटीओ) की Outward No: 21064 दिनांक 19/06/2024 वैधता		
	दिनांक 27/10/2024 तक है ।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम	् उत्पादन क्षमता पत्थर-10000	
	घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया	है और अनुमोदित खनन् योजना	
	अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-१००० घनमीटर/वर्ष है।		
500 मीटर की परिधि में	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला आगर मालवा के एकल प्रमाण-पत्र		
अन्य खदानें	क्रमांक 67 दिनांक 20/2/025 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई		
	अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नही है, उ	भतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण /	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला आगर मालवा के एकल प्रमाण-पत्र		
एसईजेडसे दूरी कोर/ जैव	क्रमांक 67 दिनांक 20/2/025 के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में		
विविधता बफर	नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है		

प्रस्तावित स्थल से 250	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला आगर मालवा के एकल प्रमाण-पत्र	
मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र	क्रमांक 67 दिनांक 20/2/025 के अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन	
की स्थिति	क्षेत्र नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला आगर मालवा के एकल प्रमाण-पत्र	
	क्रमांक 67 दिनांक 20/2/025 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव	
	बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के	
	स्मारक, रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग	
	/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन हवाई अङ्डा, प्रतिरक्षा	
	संस्थान एवं जलीय निकाय /नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर /	
	ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत आमला जिला आगर मालवा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-06	
की अनापति	दिनांक 26/01/2024 के अनुसार उत्खनिपटटा दिये जाने की स्वीकृति	
	ग्रामसभा द्वारा सर्व सम्मति से दी जाती है।	
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों	काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या - 0	
की वर्तमान स्थिति		
प्रस्तावित स्थल की गूगल	दक्षिण दिशा— - उत्खिनपट्टे के दक्षिण दिशा में 400 मीटर पर एक नाला स्थित है।	
इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	पश्चिम दिशा–	
स्यारा	- उत्खनिपट्टे से पश्चिम दिशा में लगभग 24 मीटर पर नाला स्थित	
	है जिसके सम्बंध में पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि नाले से	
	50 मीटर तक कोई भी खनन कार्य नहीं किया जावेगा।	
	- उत्खिनपट्टे से पश्चिम दिशा में लगभग 28 मीटर पर हाई टेंशन टावर/ लाइन स्थित	
	है जिसके सम्बंध में पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि HT Line	
	से 50 मीटर तक कोई भी खनन कार्य नहीं किया जावेगा।	
प्रस्तावित खदान की जिला	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की	
सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के Page No. 81, S.No. 37 and	
	Chapter No. 19 पर दर्ज है।	

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुनः मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गयी जिनका विवरण निम्नानुसार है :

Conditions	Completion status		
Plantation	 a) Approx 20 nos of plants are planted at the ML area. b) 100 nos of plants are planted near shelter/site office. c) 30 nos at village temple Amla 		
Wire fencing work	Total Periphery 609m	About 300m periphery of ML is covered with wire fencing. 309m fencing is proposed & cost of the same is addressed in EMP	
Garland drain status	Total 335m long	Total 70m long garland drain is constructed partially in the Southern periphery of the ML area.	
		Remaining 265 long garland drain will be constructed & the cost is added in the EMP budget sheet.	
Verifiable proof of CER	5) Water facility6) Provision of V	the village welfare is carried out which are: at Gaushala for animals. Vater Facility at Temple & Dharamshala for cattle. for villagers near govt. primary school village Amla.	
barrier zone	about 200 sq.mt of are the remaining BZ is ac	one of the mine lease area is excavated from which the backfilling of ea is backfilled with the overburden and the cost for the backfilling of ddressed in the EMP budget sheet.	
Proofs of above-mentioned activities/conditions are given at the time of presentation.			

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं उपरोक्त व अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विषिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर- 10,000 घनमीटर/वर्ष।
- 2. ब्लास्टिंग प्रक्रिया में नियमानुसार सुरक्षात्मक उपायों का अनुपालन करते हुए आसपास के राहगीरों/कृषि भूमि/संरचना/पर्यावरण/जल निकायो/वृक्षों आदि की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
- 3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राषि रू. 11.05 लाख एवं रिक्ररिंग राषि रू. 2.47 लाख प्रति वर्ष।
- 4. सी.इ.आर मद में निम्नानुसार राशि रु 1.30 लाख तथा सी.ई.आर में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 1 वर्ष में पूर्ण किये जाये ।

सी.ई. आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	
Solar Panel of 2.0 kW capacity will be installed (excluding subsidy) at the Govt. Primary School in Village Amla and cost for the maintenance of solar panel. Additionally, the walls of the center will be repaired and whitewash, with educational and environmental awareness paintings to be displayed on them.	1,15,000 /-

Rs 1,00,000 + 5,000/Year upto 3 years (Maintenance)	
Concreting around the Handpump installed at the Govt. Primary School in Village Amla	15,000/-
Total	Rs 1,30,000/-

5. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण । 8. Case No P2/1783/2025 Shri VIJAY CHOUKSEY, Onwer, A-1/1600, Bushwara Market Area, Tehsil -Nepanagar, District- Burhanpur (M.P.) Prior Environment Clearance for M/s Kerpani, Stone Mine in an area of 2.30 ha. (20140 cum per year) (Khasra No. 102 Govt. Land), Village-Kerpani, Tehsil-Nepanagar, District-Burhanpur (MP) [474457] (B2).

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 29/8/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री स्वाति नामदेव एफएई, मेसर्स AGS Environmental Services Pvt. Ltd, Delhi उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण परियोजना प्रस्तावक का ताम व पता खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी नंजी) स्थल Village-Kerpani, Tehsil-Nepanagar, District- Burhanpur (M.P.) स्थल Village-Kerpani, Tehsil-Nepanagar, District- Burhanpur (MP) लीज स्वीकृति कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के पत्र क्रमांक 4562 दिनांक 23/7/2018 के द्वारा स्वीकृत । क्रमण की स्थिति कीज क्षेत्र में क्रेशर की आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 33.10 अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर प्रस्तावित नहीं है। यकरण की स्थिति बीई द्वारा जारी सम्मति की स्थिति वीई द्वारा जारी सम्मति की स्थिति किस्थिति उट्यादन क्षमता परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उट्यादन क्षमता पत्थर-20140 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार विज क्षमता पत्थर-20140 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-20140 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार की परिधि में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के पत्र क्रमांक 725 दिनांक 03/03/2025 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है। राष्ट्रीय उचान/ अभ्यारण / कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के पत्र क्रमांक 725 दिनांक एसईजंडसे दूरी कोर/ 03/03/2025 के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल			
लाम व पता खसरा वं./ क्षेत्रफल (सरकारी लेंड) स्थल Village-Kerpani, Tehsil-Nepanagar, District- Burhanpur (MP) लीज स्वीकृति कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के पत्र क्रमांक 4562 दिनांक 23/7/2018 के द्वारा स्वीकृत । व्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है । प्रकरण की स्थिति बीज क्षेत्र में क्रेशर की आवंदित फार्म के सरल क्रमांक 33.10 अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर प्रस्तावित नहीं है। बोई द्वारा जारी सम्मति क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोई, इंदौर द्वारा जारी संचालन सम्मति (सीटीओ) की Outward No. 25145 Date 23/12/2022 वैधता दिनांक 12/02/2028 तक है । उत्पादन क्षमता परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-20140 घनमीटर/वर्ष हेतु आवंदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-20140 घनमीटर/वर्ष है। 500 मीटर की परिधि में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के पत्र क्रमांक 725 दिनांक संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है। राष्ट्रीय उचान/ अभ्यारण / कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के पत्र क्रमांक 725 दिनांक	परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
बसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी) स्थल Village-Kerpani, Tehsil-Nepanagar, District- Burhanpur (MP) लीज स्वीकृति कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के पत्र क्रमांक 4562 दिलांक 23/7/2018 के द्वारा स्वीकृत । ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है । प्रकरण की स्थिति डिया से सिया लीज क्षेत्र में क्रेशर की आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 33.10 अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर प्रस्तावित नहीं है। बोई द्वारा जारी सम्मति क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोई, इंदौर द्वारा जारी संचालन सम्मति (सीटीओ) की Outward No. 25145 Date 23/12/2022 वैधता दिनांक 12/02/2028 तक है । उत्पादन क्षमता परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-20140 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-20140 घनमीटर/वर्ष है। 500 मीटर की परिधि में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के पत्र क्रमांक 725 दिनांक 03/03/2025 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है। राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण / कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के पत्र क्रमांक 725 दिनांक	परियोजना प्रस्तावक का		
(सरकारी/निजी) स्थल Village-Kerpani, Tehsil-Nepanagar, District- Burhanpur (MP) लीज स्वीकृति कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के पत्र क्रमांक 4562 दिनांक 23/7/2018 के द्वारा स्वीकृत । ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है । प्रकरण की स्थिति डिया से सिया लीज क्षेत्र में क्रेशर की आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 33.10 अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर प्रस्तावित नहीं है। बोर्ड द्वारा जारी सम्मति क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इंदौर द्वारा जारी संचालन सम्मति (सीटीओ) की Outward No. 25145 Date 23/12/2022 वैधता दिनांक 12/02/2028 तक है । उत्पादन क्षमता परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-20140 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-20140 घनमीटर/वर्ष है। 500 मीटर की परिधि में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के पत्र क्रमांक 725 दिनांक संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है। राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण / कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के पत्र क्रमांक 725 दिनांक	नाम व पता	Tehsil -Nepanagar, District- Burhanpur (M.P.)	
स्थल Village-Kerpani, Tehsil-Nepanagar, District-Burhanpur (MP) लीज स्वीकृति कार्यालय कलेक्टर (खिनज शाखा) जिला बुरहानपुर के पत्र क्रमांक 4562 दिनांक 23/7/2018 के द्वारा स्वीकृत । ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है । प्रकरण की स्थिति डिया से सिया लीज क्षेत्र में क्रेशर की आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 33.10 अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर प्रस्तावित नहीं है। बीर्ड द्वारा जारी सम्मति क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बीर्ड, इंदौर द्वारा जारी संचालन सम्मति (सीटीओ) की Outward No. 25145 Date 23/12/2022 वैधता दिनांक 12/02/2028 तक है । उत्पादन क्षमता परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-20140 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-20140 घनमीटर/वर्ष है। 500 मीटर की परिधि में कार्यालय कलेक्टर (खिनज शाखा) जिला बुरहानपुर के पत्र क्रमांक 725 दिनांक पंचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है। राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण /	खसरा नं./ क्षेत्रफल	102 (सरकारी लेंड)	2.30 hectare.
लीज स्वीकृति कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के पत्र क्रमांक 4562 दिनांक 23/7/2018 के द्वारा स्वीकृत । ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है । प्रकरण की स्थिति डिया से सिया लीज क्षेत्र में क्रेशर की आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 33.10 अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर प्रस्तावित नहीं है। बोर्ड द्वारा जारी सम्मिति क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इंदौर द्वारा जारी संचालन सम्मित (सीटीओ) की Outward No. 25145 Date 23/12/2022 वैधता दिनांक 12/02/2028 तक है । उत्पादन क्षमता परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-20140 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-20140 घनमीटर/वर्ष है। 500 मीटर की परिधि में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के पत्र क्रमांक 725 दिनांक संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है। राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण / कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के पत्र क्रमांक 725 दिनांक	(सरकारी/निजी)		
दिनांक 23/7/2018 के द्वारा स्वीकृत । ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है । प्रकरण की स्थिति डिया से सिया लीज क्षेत्र में क्रेशर की आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 33.10 अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर प्रस्तावित नहीं है। बोर्ड द्वारा जारी सम्मति क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इंदौर द्वारा जारी संचालन की स्थिति सम्मति (सीटीओ) की Outward No. 25145 Date 23/12/2022 वैधता दिनांक 12/02/2028 तक है । उत्पादन क्षमता परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-20140 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-20140 घनमीटर/वर्ष है। 500 मीटर की परिधि में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के पत्र क्रमांक 725 दिनांक संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है। राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण / कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के पत्र क्रमांक 725 दिनांक	स्थल	Village-Kerpani, Tehsil-Nepanagar, D	istrict- Burhanpur (MP)
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है । प्रकरण की स्थित लीज क्षेत्र में क्रेशर की आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 33.10 अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर प्रस्तावित हैं । बोर्ड द्वारा जारी सम्मित क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इंदौर द्वारा जारी संचालन की स्थित की स्थित की स्थित परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-20140 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-20140 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-20140 घनमीटर/वर्ष है। 500 मीटर की परिधि में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के पत्र क्रमांक 725 दिनांक त्यांलित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है। राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण / कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के पत्र क्रमांक 725 दिनांक	लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिल	ना बुरहानपुर के पत्र क्रमांक 4562
प्रकरण की स्थिति डिया से सिया आयेदित फार्म के सरल क्रमांक 33.10 अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर प्रस्तावित नहीं है। बोर्ड द्वारा जारी सम्मित क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इंदौर द्वारा जारी संचालन सम्मित (सीटीओ) की Outward No. 25145 Date 23/12/2022 वैधता दिनांक 12/02/2028 तक है । उत्पादन क्षमता परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-20140 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-20140 घनमीटर/वर्ष है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के पत्र क्रमांक 725 दिनांक तंत्रीय उद्यान/ अभ्यारण / कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के पत्र क्रमांक 725 दिनांक संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है। राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण / कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के पत्र क्रमांक 725 दिनांक		दिनांक 23/7/2018 के द्वारा स्वीकृत ।	
लीज क्षेत्र में क्रेशर की सिथित नहीं है। बोर्ड द्वारा जारी सम्मति क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इंदौर द्वारा जारी संचालन सम्मति (सीटीओ) की Outward No. 25145 Date 23/12/2022 वैधता दिनांक 12/02/2028 तक है। उत्पादन क्षमता परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-20140 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-20140 घनमीटर/वर्ष है। 500 मीटर की परिधि में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के पत्र क्रमांक 725 दिनांक 03/03/2025 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है। राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण / कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के पत्र क्रमांक 725 दिनांक	ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टि	ग प्रस्तावित है ।
स्थिति नहीं है। बोर्ड द्वारा जारी सम्मित क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इंदौर द्वारा जारी संचालन सम्मित (सीटीओ) की Outward No. 25145 Date 23/12/2022 वैधता दिनांक 12/02/2028 तक है। उत्पादन क्षमता परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-20140 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-20140 घनमीटर/वर्ष है। 500 मीटर की परिधि में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के पत्र क्रमांक 725 दिनांक 03/03/2025 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है। राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण / कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के पत्र क्रमांक 725 दिनांक	प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मित क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इंदौर द्वारा जारी संचालन सम्मित (सीटीओ) की Outward No. 25145 Date 23/12/2022 वैधता दिनांक 12/02/2028 तक है । उत्पादन क्षमता परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-20140 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-20140 घनमीटर/वर्ष है। 500 मीटर की परिधि में कार्यालय कलेक्टर (खिनज शाखा) जिला बुरहानपुर के पत्र क्रमांक 725 दिनांक 03/03/2025 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है। राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण / कार्यालय कलेक्टर (खिनज शाखा) जिला बुरहानपुर के पत्र क्रमांक 725 दिनांक	लीज क्षेत्र में क्रेशर की	आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 33.10 3	न्नुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर प्रस्तावित
की स्थिति सम्मित (सीटीओ) की Outward No. 25145 Date 23/12/2022 वैधता दिनांक 12/02/2028 तक है । उत्पादन क्षमता परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-20140 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-20140 घनमीटर/वर्ष है। 500 मीटर की परिधि में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के पत्र क्रमांक 725 दिनांक अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है। राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण / कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के पत्र क्रमांक 725 दिनांक	स्थिति		
12/02/2028 तक है । उत्पादन क्षमता परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-20140 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-20140 घनमीटर/वर्ष है। 500 मीटर की परिधि में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के पत्र क्रमांक 725 दिनांक 03/03/2025 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है। राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण / कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के पत्र क्रमांक 725 दिनांक	बोर्ड द्वारा जारी सम्मति	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इंदौर द्वारा जारी संचालन	
उत्पादन क्षमता परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-२०१४० घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-२०१४० घनमीटर/वर्ष है। 500 मीटर की परिधि में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के पत्र क्रमांक 725 दिनांक अन्य खदानें 03/03/2025 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-२ श्रेणी का है। राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण / कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के पत्र क्रमांक 725 दिनांक	की स्थिति	स्थिति सम्मित (सीटीओ) की Outward No. 25145 Date 23/12/2022 वैधता दिन	
घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-20140 घनमीटर/वर्ष है। 500 मीटर की परिधि में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के पत्र क्रमांक 725 दिनांक अन्य खदानें 03/03/2025 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है। राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण / कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के पत्र क्रमांक 725 दिनांक		12/02/2028 तक है ।	
अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-20140 घनमीटर/वर्ष है। 500 मीटर की परिधि में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के पत्र क्रमांक 725 दिनांक अन्य खदानें 03/03/2025 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है। राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण / कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के पत्र क्रमांक 725 दिनांक	उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम्	उत्पादन क्षमता पत्थर-20140
500 मीटर की परिधि में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के पत्र क्रमांक 725 दिनांक अन्य खदानें 03/03/2025 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है। राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण / कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के पत्र क्रमांक 725 दिनांक		घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया	है और अनुमोदित खनन् योजना
अन्य खदानें 03/03/2025 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नही है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है। राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण / कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के पत्र क्रमांक 725 दिनांक		अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर	-20140 घनमीटर/वर्ष है।
संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है। राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण / कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के पत्र क्रमांक 725 दिनांक	500 मीटर की परिधि में	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला	बुरहानपुर के पत्र क्रमांक 725 दिनांक
राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण / कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के पत्र क्रमांक 725 दिनांक	अन्य खदानें	03/03/2025 के अनुसार 500 मी	टर की परिधि में अन्य खदानें
		संचालित/स्वीकृत नही है, अतः प्रकरण बी	ो-२ श्रेणी का है।
एसईजेडसे दूरी कोर/ 03/03/2025 के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल	राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण /	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला	बुरहानपुर के पत्र क्रमांक 725 दिनांक
	एसईजेडसे दूरी कोर/	03/03/2025 के अनुसार 10 कि	लोमीटर की परिधि में नेशनल
जैव विविधता बफर पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।	जैव विविधता बफर	पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव र्व	वेविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल से 250 कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के पत्र क्रमांक 725 दिनांक	प्रस्तावित स्थल से 250	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला	बुरहानपुर के पत्र क्रमांक 725 दिनांक

मीटर की दूरी पर वन	03/03/2025 के अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं है ।
क्षेत्र की स्थिति	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के पत्र क्रमांक 725 दिनांक
	03/03/2025 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक
	संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन
	/ सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों
	जैसेः रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय
	निकाय /नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा /
	पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम	ग्राम पंचायत केरपानी जिला बुरहानपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-02 दिनांक
पंचायत की अनापति	26/01/2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नही
	き I
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों	Tree Existing-01 tree
की वर्तमान स्थिति	Tree felling- No
प्रस्तावित स्थल की ग्र्गल	उत्तर दिशा- पगडंडी 12 मी.
इमेज अनुसार वर्तमान	दक्षिण दिशा- कच्चा रोड़ – 118 मी.
स्थिति	पूर्व दिशा- कच्चा रोड़ –294 मी.
	पश्चिम दिशा- कच्चा रोड़ – 179 मी.
प्रस्तावित खदान की	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में	नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं30 के सरल क्रमांक-32 पर दर्ज है ।
स्थिति	

<u>प्रस्तुतीकरण के पश्चात समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश</u> <u>दिए:-</u>

- 1. समिति द्वारा सुझाए अनुसार संशोधित ईएमपी योजना
- 2. डिया द्वारा जारी ईसी शर्तों का पालन प्रमुख रूप से लीज एरिया के चारो ओर फेन्सिग, वृक्षारोपण, गारलैण्ड ड्रेन, सेटलिंग टैंक का निर्माण, बैरियर जोन संरक्षण की स्थित आदि संबंधित जियोटेग फोटोग्राफ तथा सीईआर कार्यों संबंधित प्रमाणित दस्तावेज।

9. <u>Case No P2/1784/2025 PRATAP SINGH SISODIYA, R/o- Gram balkheda Nau, Makla, Mahidpur, District-Ujjain(M.P.) Prior Environment Clearance for M/s Malya Stone and M-Sand in an area of 2.70 ha. (Stone (Gitti)— 10,000 Cum per year and M-Sand 5200 Cum per year) (Khasra No. 1/1 Govt Land), Village-Malya, Tehsil—Jharda, District-Ujjain MP) [519739] (B2)</u>

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 29/8/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्रीमती मीना चौरिसया, F.A.E M/s. Aseries Envirotek India Pvt. Ltd., Lucknow उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम	PRATAP SINGH SISODIYA, R/o- Gram balkheda Nau, Makla,	
व पता	Mahidpur, District-Ujjain(M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल	1/1 (सरकारी भूमि)	2.70 hectare.
(सरकारी/निजी)		
स्थल	Village- Malya, Tehsil –Jharda, D	istrict- Ujjain MP)
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) र्व	जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक 3024
	दिनांक 25/11//024 के द्वारा 10 वर्ष	के लिए स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्ला	स्टिंग प्रस्तावित है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रकरण ।	
लीज क्षेत्र में क्रेशर की स्थिति	आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 16.10 अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर	
	प्रस्तावित नहीं है।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की	बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उज्जैन द्वारा ज	
स्थिति	स्थापना सम्मति (सीटीई) की Outwa	rd No. 22071 Dated 23/6/25 वैधता
	दिनांक Consent to Establish fo	or setting up of an industrial
	plant/activities at 1/1 Malya, Tehsi	l –Jharda, District-Ujjain तक है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकत	म् उत्पादन क्षमता पत्थर-१००००
	घनमीटर/वर्ष एवं एम सेंड – 520	O घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया
	गया है और अनुमोदित खनन् योजन	। अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता
	पत्थर-१०००० घनमीटर/वर्ष एवं एम	न सेंड – 5200 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा)	जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र
अन्य खदानें	क्रमांक २७ दिनांक ०६/०१/२०२५ के	अनुसार 500 मीटर की परिधि 01
	अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इ	स प्रकार कुल रकबा 4.70 होता है,
	अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	

राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण /	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र
एसईजेडसे दूरी कोर/ जैव	
विविधता बफर	े नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं
, ,	青 1
प्रस्तावित स्थल से 250	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र
मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र	क्रमांक 27 दिनांक 06/01/2025 के अनुसार 250 मीटर की परिधि में
की स्थिति	वन क्षेत्र नहीं है ।
तहसीलदार की अनापति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र
	क्रमांक 27 दिनांक 06/01/2025 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में
	मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय
	महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट /
	राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन हवाई
	अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय /नदी / तालाब / बांध /
	स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत माल्या जिला उज्जैन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-क्यू दिनांक
की अनापति	10/9/2024 अनुसार प्रस्तावित उत्खिनपटटा पत्थर उत्खनन की स्वीकृति
	दी जाने का अनुमोदन किया जाता है ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की	Tree existed - No
वर्तमान स्थिति	
प्रस्तावित स्थल की गूगल	उत्तर दिशा- प्राकृतिक नाला -226 मीटर , पोंड 307 मीटर
इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	
	दक्षिण पूर्व दिशा- आबादी 836 मीटर
	पश्चिम दिशा- पक्का रोड 110 मीटर इस सम्बन्ध में 90 मीटर का गैर
	खनन क्षेत्र प्रस्तवित किया है एवं शेड -504 मीटर
प्रस्तावित खदान की जिला	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र
सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	क्रमांक २७ दिनांक ०६/०१/२०२५ के अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट
	2022-23 की बनी है एवं उक्त उत्खिनिटटा तत्पश्चात स्वीकृत हुआ है अगामी नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की जावेगी उसमें शाम्मिलित
	किया कर लिया जायेगा ।

परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार ने प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया कि ने बताया कि गैर खनन एरिया छोड़ने के पश्चात 1.80 हेक्टेयर खनन योग क्षेत्र बसता है बचता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर—<u>10000</u> घनमीटर / वर्ष

- 2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट प्रस्तावित नही है, अतः लीज क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट स्थापित करने की अनुमति नही दी जा सकेगी।
- 3. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।
- 4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 15.84 एवं रिकरिंग राशि रू. 03.22 .प्रति वर्ष।
- 5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू 1.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मदद में प्रस्तावित गतिविधि	कैपिटल राशि रू. में	5 वर्ष तक रख रखाव राशि रू. में
ग्राम माल्या कला के शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला में 3.0 ज्ञॅं। के सोलर पैनल की स्थापना प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट के द्वारा किया जायेगा।	1,20,000/- (सब्सिडी छोड़ के)	5,000/-
ग्राम माल्या कला के शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला में विज्ञान संबंधी थीम पे चित्रकारी कारवाई जाएगी।	20,000/-	-
ग्राम माल्या कला के शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला में 6-8 तक की कक्षा के छात्रों के लिए 15 विज्ञान किट (1 किट में 4-5 छात्रों के ग्रुप के लिए) का वितरण किया जाएगा।	22,000/-	-
Total	1,62,000/-	5,000/-

10. Case No. P2/1785/2025, Shri Rais Sheikh S/o Shri Naim Shekh Residence: - Village Amjhera, Tehsil Sardarpur District Dhar, Madhya Pradesh Prior Environment Clearance for Idriya Murram Quarry in an area of 2.0 ha. [Murram - 15,000 m³/year], (Khasra No. 424 (Govt.Land), Village: - Idriya, Tehsil- Sardarpur, District: - Dhar (M.P) (536228) (Fresh -B2)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 29/8/2024 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार पर्यावरणीय सलाहकार श्री शिशुपाल वर्मी, M/s. Super Tech Environmental Services, Bhopal (M.P.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का	Shri Rais Sheikh, owner R/o- Village Amjhera, Tehsil- Sardarpur,	
नाम व पता	District-Dhar, M.P.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल	424 (सरकारी लेंड)	2.0 hectare.
(सरकारी/निजी)		
स्थल	Village- Idriya, Tehsil – Sardarpur,	District- Dhar (MP)
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा)	जिला धार के पत्र क्रमांक 1404
	दिनांक 28/6/2024 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लासि	न्टंग प्रस्तावित नही है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रकरण ।	
लीज क्षेत्र में क्रेशर की	आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 16.10 अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर	
स्थिति	प्रस्तावित नहीं है।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इंदौर द्वारा जारी स्थापना	
स्थिति	सम्मति (सीटीई) की Outward No. 28967 Dated 01/5/25 वैधता दिनांक	
	10/4/2030 तक है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम्	उत्पादन क्षमता मुरूम - 15000
	घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गय	ा है और अनुमोदित खनन् योजना
	अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता मुरू	म – 15000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक	
अन्य खदानें	1750 दिनांक 25/07/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य	
	खदानें संचालित/स्वीकृत नही है, अतः	प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण /	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक	
एसईजेडसे दूरी कोर/ जैव	1750 दिनांक 25/07/2024 के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में	
विविधता बफर	नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं	

	है।		
प्रस्तावित स्थल से 250	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक		
मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र	1750 दिनांक 25/07/2024 के अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन		
की स्थिति	क्षेत्र नहीं है ।		
तहसीलदार की अनापति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक		
	1750 दिनांक 25/07/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में लगभग		
	100 मीटर की दूरी पर मानव बसाहट है ।		
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत मरोल जिला धार के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 29/01/2024		
की अनापति	अनुसार प्रस्तावित स्थल पर पैसा एक्ट समिति को कोई आपित नहीं है ।		
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों	पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित खदान क्षेत्र में		
की वर्तमान स्थिति	स्थित पेड़ो की संख्या – 1 जिसे कटा नहीं जावेगा		
प्रस्तावित स्थल की गूगल	उत्तर दिशा- उत्खिनिपट्टे क्षेत्र से उत्तर दिशा में 456 मीटर की दूरी पर एक चेक		
इमेज अनुसार वर्तमान	डैम स्थित है।		
स्थिति	दक्षिण दिशाउत्खिनपट्टे से दक्षिण दिशा में लगभग 317 मीटर		
	मीटर की दूरी पर एक चेक डैम स्थित है ।		
	पूर्व दिशा-		
	• उत्खिनपट्टे क्षेत्र से पक्का रास्ता पूर्व दिशा में 28 मीटर पर		
	उत्तर दिशा में 72 मीटर पर एवं दक्षिण दिशा में 70 मीटर पर		
	स्थित है जिसके सम्बन्ध में पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया		
	कि अनुमोदित खनन योजना अनुसार पक्के रोड से 100 मीटर तक कोई		
	खनन कार्य नहीं किया जावेगा एवं मुर्रुम उत्खनिपट्टा होने के कारण उत्खनिपट्टे क्षेत्र पर ब्लास्टिंग नहीं की जावेगी।		
	 उत्खिनपट्टे क्षेत्र से पूर्व दिशा में 110 मीटर पर, 116 मीटर 		
	पर एवं दक्षिण दिशा में 225 मीटर पर कुछ आइसोलेटेड कमरे		
	स्थित है एवं 65 मीटर पर अनुपयोगी दूटा हुआ कमरा स्थित		
	है।		
	 उत्खिनपट्टे क्षेत्र से पूर्व दिशा में 200 मीटर पर एक जल रोकने की संरचना स्थित है। 		
	राकन का सरचना स्थित है।		
प्रस्तावित खदान की जिला	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक		
सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	1750 दिनांक 25/07/2024 के अनुसार उपरोक्त खदान के		
	अनुबंध/निष्पादन तथा पंजीयन की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात जिला		
	सर्वेक्षण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित किया जायेगा ।		

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विषिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

- 1- अनुमोदित खनन् योजना अनुसार उत्पादन क्षमता मुर्रुम 15,000 घनमीटर वर्ष ।
- 2- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 10.37 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 2.38 लाख प्रति वर्ष।
- 3- परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खदान क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट प्रस्तावित नहीं है।
- 4- अनुमोदित खनन योजना अनुसार उत्खिनपट्टे में ब्लास्टिंग नहीं की जावेगी।
- 5- सी.इ.आर मद में निम्नानुसार राशि रु 1.05 लाख तथा सी.ई.आर में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 1 वर्ष में पूर्ण किये जाये ।

सी.ई. आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	
Solar Panel of 2.0 Kw will be installed at the village government Middle school Idriya. (excluding subsidy) and cost for the maintenance of solar panel	90,000/- 5000/year upto 3 years
योग	1,05,000/-

6- वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण ।

- 11. Case No. 3583/2015 Shri Abdul Gaffar, Partner, MAHARAJA STONE CRUSHER, Village Prempura tehsil & Dist. Tikamgarh (M.P.). Prior Amendment in EC for Stone Mine in an area of 2.00 ha. STONE GITTI & M-SAND CAPACITY- 29400 CUM PER YEAR) (Khasra No. 465/1) Village Prempura, Tehsil Tikamgarh, District Tikamgarh (M.P.). EC Amendment.
 - परियोजना प्रस्तावक को सिया के पत्र क्रमांक 7459 दिनांक 09/11/2015 के द्वारा पत्थर-29400 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी case no. 3853/2015 के माध्यम से जारी की गई थी ।
 - पूर्व में जारी लीज की वैधता दिनांक 19/03/2019 तक थी ।
 - उक्त लीज का नवीनीकरण संचालक, भौमिकी तथा खिनकर्म, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक
 4087-88 दिनांक 08/03/21 के द्वारा 10 वर्ष (दिनांक 19/03/2019 से 19/03/209) तक के लिए किया गया है।
 - परियोजना प्रस्तावक ने अनुमोदित खनन योजना भी 05 वर्ष (दिनांक 20/03/2024 से 19/03/209) तक प्रस्तुत करते हुए सिया के पत्र क्रमांक 7459 दिनांक 09/11/2025 के द्वारा पत्थर-29400 घनमीटर/वर्ष हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में पत्थर-20,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम सेंड-9,400 घनमीटर/वर्ष हेत् पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेत् आवेदन किया गया है ।

प्रस्तावित खदान पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन का है, जिसमें आज दिनांक 29.08.2029 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री मुकेश कावरे, मेसर्स Creative Enviro Services, भोपाल उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

Presenting following details about the case :-

- It's an operating mine and this proposal is for amendment in EC to add M- Sand in existing EC, without change in lease area or production capacity.
- Lease area -2.0 ha. will be same
- Production 29,400 cum per annum
- Out of 29400 cum, M- sand will be produce 20000 cum per year, while 9400 cum gitti will be sale out.
- EC Issued by SEIAA vide dated 09-11-2015.
- CCA Valid Upto 10-02-2027
- Lease Validity- 19-03-2029
- The drilling and blasting is attended by the registered contractors i.e. on contractual basis as per the MOU signed by lease and blasting agency as per rule.

प्रस्तुतीकरण के पश्चात समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए:-

• Only addition of M-sand within permitted EC production capacity does not attract provision of EC, please obtain clarification from mining department.

12. Case No 11180/2025 Amar Mishra, Partner, MAA SHARDA MINING AND CRUSHING COMPANY, Mandla Road, Saliwada Jabalpur (M.P.). Prior Environment Clearance for M/s Jamuniya Stone Mine in an area of 400. ha. (29791 cum per annum) (Khasra No. 294 (Part)) VILLAGE- JAMUNIYA, TEHSIL- JABALPUR, DIST- JABALPUR (M.P.). [520874] DEIAA. (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 29.08.2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री सतवंत सिंह, मेसर्स ACRO DESIGN AND ENGINEERING उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का		
नाम व पता	CRUSHING COMPANY, Mandla Road, Saliwada	
	Jabalpur (M.P.).	
खसरा नं./ क्षेत्रफल	294 (Part) (सरकारी-नॉन 4.00 hectare.	
(सरकारी/निजी)	फॉरेस्ट लेंड)	
स्थल	VILLAGE- JAMUNIYA, TEHSIL- JABALPUR, DIST-	
	JABALPUR (M.P.).	
लीज स्वीकृति	संचालक, प्रशासन एवं खनिकर्म, भौमिकी तथा खनिकर्म,	
	मध्यप्रदेश भोपाल 11698 दिनांक 04/09/2023 के द्वारा 10	
	वर्ष के लिए स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग है ।	
क्रेशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र के पश्चिम दिशा में प्रस्तावित है।	
	डिया जबलपुर के पत्र कमांक 166/डिया/2018 दिनांक	
(यदि लागू हो)	19—01—2018 के द्वारा पत्थर—19,950 घनमी. / वर्ष हेतु पर्यावरणीय	
	अनापत्ति प्राप्त है।	
प्रकरण की स्थिति	क्षमता विस्तार ।	
	आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 16.10 अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर	
स्थिति	प्रस्तावित नहीं है।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जबलपुर के पत्र	
स्थिति	दिनांक 14/05/2025 के द्वारा जारी स्थापना सम्मति (सीटीई)	
	प्राप्त है ।	

टॉर	सेक की ७४४वीं बैठक दिनांक २९/०४/२०२४ की अनुसंशानुसार
	सिया के पत्र क्रमांक 1341 दिनांक 20/06/2024 के द्वारा पत्थर-
	29791 घनमीटर/वर्ष के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके
	अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष
	प्रस्तुत की गई है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्पादन क्षमता पत्थर-29791
	घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन्
	योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर-34,936
	घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण-
अन्य खदानें	पत्र क्रमांक 976 दिनांक 06/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि
	04 अन्य खदान संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 13.47
	होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण/	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण-
एसईजेड से दूरी कोर/ जैव	पत्र क्रमांक 976 दिनांक 06/10/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की
विविधता बफर	परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता
	क्षेत्र स्थित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल से 250	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण-
मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र	पत्र क्रमांक 976 दिनांक 06/10/2023 अनुसार 250 मीटर की परिधि
की स्थिति	में वन क्षेत्र नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण-
	पत्र क्रमांक 976 दिनांक 06/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि
	में खसरा नं. 300 शासकीय नाला, खसरा नं. 292 रास्ता मद की
	भूमि एवं 01 मकान बना हुआ है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि
	में नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत बल्हवारा जिला जबलपुर के ठहराव प्रस्ताव अनुसार
की अनापत्ति	प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य का प्रस्ताव पारित ।
प्रस्तावित स्थल की गूगल	उत्तर दिशा - 380 मी.पर नाला।
इमेज अनुसार वर्तमान	दक्षिण दिशा- 160 मी.की दूरी पर 4 मकान हैं। जिसके लिए 40
स्थिति	मी.का सेटबैक लिया जायेगा
	पूर्व दिशा - 22 मी.की दूरी पर बरसाती नाला
	पश्चिम दिशा - 500 मी.की दूरी पर नहर
प्रस्तावित खदान की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में	प्रमाण-पत्र क्रमांक ९७६ दिनांक ०६/१०/२०२३ अनुसार उक्त
स्थिति	खदान की जानकारी को अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में
	सम्मिलित कर लिया जावेगा ।
	समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय
	पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकरण मध्यप्रदेश की 739वीं
	बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 - जारी
	पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के
	परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के
	दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को
	अनुशंसित किया जाये ।

प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :--

- 1. EIA Page 13-17, TOR Point 3-4,SEIAA condition TOR 02, noted ?, 05,07 noted and complied requires proper reply. TOR No. 13,16,17. EIA Page 19-32, TOR Point 16,17,18,20. Noted ,and complied requires proper reply with EIA relevant para reference. Mitigation measures, plantation plan, mentioned in TOR compliance must be address in EMP with budget provision.
- 2. EIA Page 57 reveals that AAQ monitoring is not conducted as per CPCB guidelines, placement of instruments is not proper for measurement. Page 73 table 3.11 GW1 –GW8 source of water is not mentioned. Page 117 conclusion last 3 line of para is not address in EMP/CER.

- 13. Case No 8557/2021 Shri Uma Shankar Mishra, 765, Napier Town, Anand Cinema Road, Dist. Jabalpur, MP 482001 Prior Environment Clearance for Quartz Deposit in an area of 6.605 ha. (81,741 Tonne per annum) (Khasra No. 4 Part, 94 Part, 95 Part), Village Umaria, Tehsil Dheemarkheda, Dist. Katni (MP).
 - Earlier this case was discussed in 502nd SEAC meeting dated 06/07/2021 wherein ToR was recommonded: -
 - SEIAA referred back this case in the in 680th SEIAA meeting dtd 03/8/21 and it has been recorded that:

"The case was recommended for TOR in 502nd SEAC meeting dated 06/7/21 and after detailed discussion, it was decided that the case should be returned to SEAC for reappraisal of TOR Condition regarding plantation should be amended suitably to authorize PP to implement plantation in consultation with the agencies mentioned in the condition of SEAC".

In view of above, the case file was sent back to SEAC re-appraisal of TOR condition.

 Hence in above context this case was discussed in 511th SEAC meeting dated 26/08/2021 wherein ToR was recommended with following additional TOR point: -

"In this meeting the above matter was discussed, this was one of the TOR conditions regarding a suitable government agency to execute proposed plantation scheme. Committee after deliberations decided that at the time of EIA appraisal when PP comes up with the suitable proposal, this issue will be deliberated and thus committee standby its recommendations made in 502nd SEAC meeting dated 06/7/21."

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 29.8.2025 को परियोजना प्रस्तावक श्री अमित रैकवार एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स, Creative Enviro Services, Bhopal उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का	Shri Nitin Sharma, HPA, 765 Napier Town, Anand Cinema
नाम व पता	Road, Jabalpur (M.P.).

खसरा नं./ क्षेत्रफल	4 part, 94 part, 95 part 6.605 hectare.		
(सरकारी/निजी)	(सरकारी-नॉन फॉरेस्ट लेंड)		
स्थल	Village- Umaria Tehsil- Dhimarkheda District Katni (M.P.).		
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खजिन साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र		
	क्रमांक एफ-3-26/2023/12//2023/12/2 दिनांक 30/09/2019		
	के द्वारा 30 वर्ष के लिए स्वीकृत ।		
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।		
प्रकरण की स्थिति	नया प्रकरण ।		
लीज क्षेत्र में क्रेशर की	आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 16.9 अनुसार लीज क्षेत्र मं में क्रशर		
स्थिति	प्रस्तावित नहीं।		
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की	मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल के पत्र Outward No:122988		
स्थिति	दिनांक 19/06/2025 के द्वारा जारी स्थापना सम्मति (सीटीई) की		
	वैधता दिनांक 31/05/2030 तक है ।		
टॉर	सेक की 511वीं बैठक दिनांक 26/08/2021 की अनुशंसानुसार सिया		
	के पत्र क्रमांक 2209 दिनांक 04/10/2021 के द्वारा Quartz - 81741		
	Tons per Annum के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार		
	परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की		
	गई है।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता Quartz - 81741		
	Tons per Annum हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन्		
	योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Quartz - 81741 Tons		
	per Annum है।		
500 मीटर की परिधि में	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र		
अन्य खदानें	क्रमांक 203 दिनांक 21/01/2025 अनुसार 500 मीटर की परिधि		
	कोई अन्य खदान संचालित/स्वीकृत है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का		
	15		
राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण/	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र		
एसईजेड से दूरी कोर/ जैव	क्रमांक २०३ दिनांक २१/०१/२०२५ अनुसार १० किलोमीटर की परिधि		
विविधता बफर	में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र		
	स्थित नहीं है ।		
प्रस्तावित स्थल से 250	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र		
मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र	त्र क्रमांक २०३ दिनांक २१/०१/२०२५ अनुसार २५० मीटर की परिधि में		
की स्थिति	वन क्षेत्र नहीं है।		
तहसीलदार की अनापति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र		

	क्रमांक 203 दिनांक 21/01/2025 अनुसार आवेदित खसरा नं4 अमेहटा तालाब की सीमा से लगा हुआ है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापति	ग्राम पंचायत कनौजा जिला कटनी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-9 दिनांक 15/08/2009 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य हेतु कोई आपति नहीं है का प्रस्ताव पारित ।
Blasting details: - प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	blasting is proposed in the proposed method of mining. Some trees & bushes are in existence within the lease area
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	a dam is in existence in the NW side at a distance of 200 meter & a natural drain in south side at 125 meter.
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के पत्र क्रमांक 1771 दिनांक 15/04/2025 अनुसार उक्त खदान को अनुबंध निष्पादन उपरांत डीएसआर में सम्मिलित करने की कार्यवाही की जावेगी ।
जन सुनवाई	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई में प्राप्त आपतियाँ/सुझावों को पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

After presentation the committee asked PP/ Env. Consultant to submit following information: -

- EIA report table 3.3 reveals, that Ambient Air quality monitoring is not conducted within the core area/ site area of the laese why?
- Compliance of TOR Point 06,12,14,17. Noted ,and complied requires proper reply with EIA relevant para reference. Mitigation measures, plantation plan, mentioned in TOR compliance must be address in EMP with budget provision.
- EIA chapter 2.26 water requirement 46 kld requires proper justification in view of CGWA permission.
- Geotags photographs Photographs must be attached for baseline data monitoring conducted for EIA preparation.
- Submit detailed occupational Health check-up plan of the labour/ workers and other staff w.r.t. to Silicosis include proviosin of <2.5-micron masks and othe vrelevant PPE kit with appropriate budget in the EMP.

14. Case No. P2/1788/25, Shri Hemant Soni, Partner M/s Divine Stone Industries R/o: Vill- Mrigwas, Teh-Kumbhraj, District, Guna (M.P.), State: -Madhya Pradesh Prior Environment Clearance for Gaumukh Stone (Gitti, M-Sand & Boulder) Quarry in an area of 1.10 ha. [Stone (gitti): 15,000 m3/year & M-sand: 5,000 m3/year & Boulder 2,000 m3/ Year], (Khasra No. 252 (Govt. Land), Village: -Gaumukh, Tehsil- Kumbhraj, District: -Guna (M.P) (542601) (Fresh -B2).

The Proposed Mine is of Prior Environmental Clearance under Category B-2, in which today on 29/08/2025 the Project Proponent's Environmental Consultant Shri Shishupal Verma, Super Tech, Environmental Services, Bhopal (M.P.) appeared and made a presentation before the committee.

Project Details	Documents submitte	ed by the project proponent
Name and address of the project proponent.	Shri Hemant Soni, Partner M/s Divine Stone Industries, R/o- Mrigwas, Tehsil-Kumbhraj, District-Guna, (M.P.)- 473222. Prior Environment Clearance for M/s Gaumukha Stone Quarry with a production capacity of 15,000 Cu.mt/year Stone (Gitti), 5000 Cu.mt/year M-Sand & Boulder 2,000 Cu.mt/year having a lease area of 1.10 hectare, at Khasra No 252 (Govt. Land), Village- Gaumukha, Tehsil- Kumbhraj, District- Guna (M.P.). SIA/MP/MIN/542601/2025.	
Khasra No./Lease Area	Khasra No 252	Lease Area -1.10 ha.,
(Ha.), (Government/Private).		(Govt. Land)
Project Location	Village- Gaumukha, Tehsil- K	umbhraj, District- Guna (M.P.).
Description of Project	It is a Stone Quarry with a production capacity of 15,000 Cu.mt/year Stone (Gitti), 5000 Cu.mt/year M-Sand & Boulder 2,000Cu.mt/year having a lease area of 1.10 hectare, at Khasra No. 252 (Govt. Land) Village-Gaumukha, Tehsil- Kumbhraj, District- Guna (M.P.).	
Lease approval letter details.	Approved by letter No. 670 dated 03/09/2024 of the Office of Collector	
	(Mineral Branch), District- Guna.	
Project Category.	B-2,	
SPCB Comments/CTE details	PCB ID: 169352, Consent No:CTE-130004, Outward No:16016,09/05/2025, Consent to Establish upto 30/04/2030. Issued date 09/05/2025.	
Blasting details	Blasting is not proposed	
Crusher within the lease ?	Crusher is proposed	
DEIAA EC details(If applicable)	NA.	
Production details	Stone Quarry with a Production capacity of 15,000 Cu.mt/year Stone (Gitti), 5000 Cu.mt/year M-Sand & Boulder 2,000 Cu.mt/year.	
Other mines within 500 meter	According to the Ekal Certificate	dispatch no. 40 dated 17/01/2025 of the
radius.	Office of the Collector (Mineral	Branch) District- Guna, No other mines e radius of 500 meters, thus the Total Area

Distance from National Park/ Sanctuary/SEZ to Core/Biodiversity Buffer	According to the Ekal Certificate number 40 dated 17/01/2025 of the Office of the Collector (Mineral Branch) District- Guna, there is no National Park/Sanctuary/Eco Sensitive Zone Biodiversity area located within the radius of 10 kilometers.
Situation of forest area at a	According to the Ekal Certificate Dispatch No. 40 dated 17/01/2025
distance of 250 meters from the proposed site.	of the Office of the Collector (Mineral Branch) District- Guna , there is no forest area within the radius of 250 meters.
Tehsildar's no objection.	As per EKAL Certificate Dispatch No. 40 dated 17/01/2025 of the
	Office of the Collector (Mineral Branch) District- Guna, within a radius of 500 meters there is no Human settlement, Educational Institution, Hospital, Archaeological heritage, monument of national importance, Railway line / Public building / Cremation ground. National Highway / sensitive areas such as: Radio Station, Doordarshan, Airport, Defense institute and Aquatic body / River / Pond / Dam / Stop Dam / Canal / Rural unpaved / paved road / drain. Rajasthan Border - within 10 km. School - 300 mt.
	➤ Marghat – 160 mt.
NOC from Gram Sabha/Gram Panchayat.	As per the resolution proposal number 2023 dated 20/07/2024 of Gram Panchayat Borkakheda, District Guna, the Panchayat has no objection to the mining work at the proposed site.
Present status of trees at	पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित खदान क्षेत्र में
the proposed site	पेड़ स्थित नहीं है
Current status of the	उत्तर पूर्व दिशा-
proposed site as per Google Image.	उत्खिनपट्टे के उत्तर पूर्वी दिशा मकान समान संरचना स्थित है
	जिसके सम्बन्ध में पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि उक्त
	मकान टूटा हुआ जर्जर पूर्व में निर्मित एक आइसोलेटेड मकान है
	जिसमे कोई रहवास नहीं करता जिसकी जी.पी.एस कोऑर्डिनटस वाले
	छायाचित्र प्रस्तुत किये गए एवं उत्खिनपट्टे के उत्तर पूर्व दिशा में
	318 मीटर की दूरी पर कच्चा रास्ता है ।
	पूर्व दिशा-
	- उत्खिनपट्टे के पूर्व दिशा में 110 मीटर पर मानव बसाहट है
	जिसके सम्बन्ध में पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि
	अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन कार्य बिना ब्लास्टिंग के रॉक
	ब्रेकर के माध्यम से किया जावेगा ।
	दक्षिण दिशा-
	उत्खिनपट्टे के दक्षिण दिशा में 200 मीटर की दूरी पर एवं दक्षिण
	पूर्व दिशा में 72 मीटर की दूरी पर एक नाला गुजर रहा है।
Status of the proposed mine in the district survey report (DSR)	According to the Ekal Certificate Dispatch No. 110 dated 17/01/2025 of the Office of the Collector (Mineral Branch) District- Guna project proponent informed that the details of this mine are recorded approved new District Survey Report of the District.

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति द्वारा पाया गया कि उत्खिनिपट्टे क्षेत्र में एक गङ्डा एवं नाले समान संरचना परिलिक्षित हो रहा है जिसके सम्बन्ध में पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि उक्त गङ्डा ग्रामीणों द्वारा मंदिर निर्माण के लिए मिट्टी खोदे जाने के कारण निर्मित हुआ है जो की किसी प्रकार का चेकडैम या सरकारी योजना के अंतर्गत निर्मित जल संरक्षण संरचना नहीं है एवं उत्खिनपट्टा क्षेत्र एवं आस पास का क्षेत्र उबड़ खाबड़ है जिसके कारण उत्खिनपट्टे क्षेत्र में नालेनुमा आकृति परिलिक्षित हो रही है जो कि कोई नाला नहीं है एवं वास्तिवक नाला 70 मीटर की दूरी पर स्थित है जिसके प्रमाणीकरण हेतु पर्यावरण सलाहकार द्वारा ग्राम पंचायत बोरका खेड़ा द्वारा जारी एवं पटवारी द्वारा हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 01-08-2024 प्रस्तुत किया गया एवं जिसकी जी.पी.एस कोऑर्डिनटस वाले छायाचित्र प्रस्तुत किये गए।

पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि उत्खिनपट्टे क्षेत्र के पश्चिम दिशा में गूगल सॅटॅलाइट इमेज अनुसार 75 मीटर की दूरी पर जो मुक्तिधाम का शेड परिलक्षित हो रहा है उसे उस जगह खसरा क्रमांक 248 से खसरा क्रमांक 180 पर स्थानांतरित कर दिया गया है जो कि वर्तमान में 160 मीटर कि दूरी पर स्थित है जिसका उल्लेख एकल प्रमाण में भी किया गया है एवं पूर्व स्थल में यह मुक्तिधाम उपयोग में नहीं लिया जाता है जिसके सम्बन्ध में नायब तहसीलदार का पत्र क्रमांक 522 दिनांक 01-08-2024 प्रस्तुत किया गया।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं उपरोक्त प्रस्तुत की गई अन्य जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विषिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

- अनुमोदित खनन् योजना अनुसार उत्पादन क्षमता गिट्टी पत्थर 15000 घनमीटर/वर्ष एम् सैंड
 5000 घनमीटर/वर्ष एवं बोल्डर 2000 घनमीटर/वर्ष ।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 10.56 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 3.46 लाख प्रति वर्ष।
- उ. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खदान क्षेत्र में क्रशर/एमसेंड प्लांट प्रस्तावित है। म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रशर/ एमसेंड प्लांट में वायु प्रदूषण रोधि उपकरणों की स्थापना तथा प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जावेगी।
- 4. अनुमोदित खनन योजना अनुसार उत्खिनपट्टे में ब्लास्टिंग नहीं की जावेगी।
- 5. सी.इ.आर मद में निम्नानुसार राशि रु 1.65 लाख तथा सी.ई.आर में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये ।

	सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	
1.	Solar panel system of 3.0 Kw capacity will be installed at Govt. middle school of village Gaumukh. (excluding subsidy) & repairing of the same school building with educational wall paintings including environment awareness on the school building. & cost for the maintenance of the Solar panel @Rs 5000/yr for 3 years	
	योग	1,65,000/-

6. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1320 वृक्षों का वृक्षारोपण । 15. Case No. P2/1786/2025, Shristi Gandhi D/o Shri Vijay Gandhi Residence: -21, Kila, Jobat Marg, Jobat, Tehsil Jobat, District Alirajpur, State: -Madhya Pradesh Prior Environment Clearance for Kolya Bayda Stone Quarry in an area of 1.10 ha. [Stone - 15,000 m³/year], (Khasra No. 289 (Private Land), Village- Kolya Bayda, Tehsil-Jobat, District- Alirajpur (M.P.) [542522] Fresh -B2.

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 29/8/2024 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार पर्यावरणीय सलाहकार श्री शिशुपाल वर्मा, मेसर्स Super Tech Environmental Services, Bhopal (M.P.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता		
खसरा नं./ क्षेत्रफल	289 (ਜਿਗੀ ਲੇਂਤ) 1.10 hectare.	
(सरकारी/निजी)		
स्थल	Village: - Kolya Bayda, Tehsil- Jobat, District: -Alirajpur (Madhya Prdaesh)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अलीराजपुर के पत्र क्रमांक 950	
	दिनांक 27 / 12 / 2024 के द्वारा 10 वर्ष के लिए स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रकरण ।	
लीज क्षेत्र में क्रेशर की	आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 16.10 अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर प्रस्तावित	
स्थिति	नहीं है।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इंदौर द्वारा जारी स्थापना/	
की स्थिति	सम्मति (सीटीई) की Outward No:29277 दिनांक 21/06/2025 वैधता दिनांक 12/06/2030 तक है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-15000	
	घनमीटर/वर्ष हेत् आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार	
	अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-15000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में		
अन्य खदानें	दिनांक 30/5/2025 के अनुसार 500 मीटर की परिधि 01 अन्य खदानें	
	संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 4.70 होता है, अतः प्रकरण बी-2	
	श्रेणी का है।	
राष्ट्रीय उद्यान/	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अलीराजपुर के पत्र क्रमांक 357	
अभ्यारण एसईजेड /से	9	

दूरी कोर/ जैव विविधता बफर	पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल से 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अलीराजपुर के पत्र क्रमांक 357 दिनांक 30/5/2025 के अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं है ।
तहसीलदार की अनापति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अलीराजपुर के पत्र क्रमांक 357 दिनांक 30/5/2025 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय /नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापति	ग्राम पंचायत कोल्याबायड़ा जिला अलीराजपुर के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 16/8/2024 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर ग्राम सभा सर्वसहमति से सहमति प्रदान की जाती है ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित खदान क्षेत्र में 10 पेड़ स्थित है जिनमें से 3 पेड़ों को काटा जावेगा जिसके एवज में 30 अतिरिक्त पौधे लगाए जावेंगे
	SHOULD ALL CHILD SHAPE
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति प्रस्तावित खदान की	उत्तर दिशा— -उत्खिनपट्टे से उत्तर दिशा में लगभग 311 मीटर की दूरी पर पक्का रास्ता गुजर रहा है। -उत्खिनपट्टे से उत्तर दिशा में लगभग 205 मीटर एवं 215 मीटर की दूरी पर अन्य खदान के साइट ऑफिस स्थित है। - उत्खिनपट्टे से उत्तर दिशा में लगभग 400 मीटर की दूरी पर एक नाला गुजर रहा है। दिक्षण दिशाउत्खिनपट्टे से लगभग 385 मीटर एवं 448 मीटर पर कुछ आइसोलेटेड मकान स्थित है। पिश्वम दिशा— उत्खिनपट्टे से पिश्वम दिशा में लगभग 113 मीटर पर कच्चा रास्ता स्थित है।

रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जायेगा ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार उत्पादन क्षमता स्टोन 15,000 घनमीटर/वर्ष।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 9.13 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 2.57 लाख प्रति वर्ष।
- 3. ब्लास्टिंग प्रक्रिया में नियमानुसार सुरक्षात्मक उपायों का अनुपालन करते हुए आसपास के राहगीरों/कृषि भूमि/संरचना/पर्यावरण/जल निकायो/वृक्षों आदि की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
- 4. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
- 5. सी.इ.आर मद में निम्नानुसार राशि रु 1.60 लाख तथा सी.ई.आर में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये ।

सी.ई. आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि		
The lessee will install a 3.0 kW capacity solar panel (Excluding Subsidy) at the Govt primary school & Repairing and whitewash of the same school building Kolya Bayda & educational paintings on the wall including environment	1,40,000/-	
awareness slogans Cost for the maintenance of the solar panel (Rs 5000/yr upto 3 yrs)	15,000/-	
योग	1.60,000/-	

6- वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1,350 वृक्षों का वृक्षारोपण । 16. Case No. P2/1787/2025, Shri Surendra Gupta S/o L.N Gupta Residence: - B. G. Road, Tehsil & District- Guna, State: -Madhya Pradesh Prior Environment Clearance for Puraposar Stone (gitti) Quarry in an area of 2.0 ha. [Stone (gitti) - 7938 m³/year], (Khasra No. 111/1/13/k (Pvt. Land), Village- Puraposar, Tehsil-Guna, District- Guna (M.P.) (469289) (DEIAA to SEIAA -B2)

The Proposed Mine is of Prior Environmental Clearance under Category B-2, in which today on 29/08/2025 the Project Proponent's Environmental Consultant Shri Shishupal Verma, Super Tech, Environmental Services, Bhopal (M.P.) appeared and made a presentation before the committee.

Project Details	Documents submitted by the project proponent	
Name and address of the	SHRI SURENDRA GUPTA, Lessee, R/o- B.G. Road Guna,	
project proponent.	District- Guna, (M.P.)- 473001. Prior Environment	
	Clearance for M/s Puraposar Stone Quarry, at Khasra No	
	111/1/13/K (Private Land), Lease Area- 2.00 Ha., Stone (Gitti)-	
	7,938 Cubic M ³ /Year. Village - Pura Posar, Tehsil- Guna, Distt.	
	Guna (M.P.). SIA/MP/MIN/469289/2025.	
Khasra No./ Lease Area	Khasra No111/1/13/K, Lease Area - 2.00 ha.,	
(Ha.), (Government/Private).	(Private Land)	
Project Location	Village - Pura Posar, Tehsil- Guna, Distt. Guna (M.P.).	
Description of Project	It is a stone quarry with a production capacity of 7938 cubic meter per year Gitti having a lease area of 2.0 Hectares, previously EC was issued by DEIAA Guna at Khasra No. 111/1/13/K Village Puraposar, Tehsil Guna, District Guna (M.P.). Now we are applying for fresh EC/Reappraisal in MP-SEIAA as per the Honourable NGT OA 142 of 2022 dtd 07-12-2022.	
Lease approval letter details.	Approved by letter No. 3179 dated 20/03/2018 of the Office of Collector (Mineral Branch), District- Guna.	
Project Cat.	B-2	
SPCB Comments/CTE details.	PCB ID: 132834, Consent No:AW-105646, Outward No:18492,30/09/2022, consent renewal valid up to 07/11/2026,. Issued date 30/09/2022.	
Blasting details.	Single Row Muffle Blasting.	
DEIAA E.C. details (if		
applicable) Production details	has been obtained vide DEIAA letter No. 60 dated 12/03/2018.	
Crusher install within the	➤ Stone (Gitti)- 7,938 Cubic M³/Year. Crusher is proposed within the mining lease area.	
mining lease area?	Crusher is proposed within the mining lease area.	
Other mines within 500 meter radius.	According to the Ekal Certificate dispatch no. 589 dated 23/06/2025 of the office of Collector (Mineral Branch) District-	
	Guna, No other mines are operated / approved within the radius of 500 meters, thus the Total Area is 2.00 ha. It happens, hence the case is of B-2 Category.	
Distance from National Park/	According to the Ekal Certificate number 589 dated 23/06/2025 of	
Sanctuary/SEZ to	the office of Collector (Mineral Branch) District- Guna, there is no	

Core/Biodiversity Buffer	National Park/Sanctuary/Eco Sensitive Zone Biodiversity area
	located within the radius of 10 kilometers.
Situation of forest area at a distance of 250 meters from	According to the Ekal Certificate Dispatch No. 589 dated 23/06/2025 of the office of Collector (Mineral Branch) District-
the proposed site.	Guna, there is no forest area within the radius of 250 meters.
Tehsildar's no objection.	As per EKAL Certificate Dispatch No. 589 dated 23/06/2025 of
	the office of Collector (Mineral Branch) District- Guna, within a
	radius of 500 meters there is no Human settlement, Educational Institution, Hospital, Archaeological heritage, monument of national importance, Railway
	line / Public building / Cremation ground. National Highway / sensitive areas
	such as: Radio Station, Doordarshan, Airport, Defense institute and Aquatic body / River / Pond / Dam / Stop Dam / Canal / Rural unpaved / paved road / drain.
	Nallah - 70 mt.
NOC from Gram	As per the resolution proposal number 08 dated 02/10/2017 of
Sabha/Gram Panchayat.	Gram Panchayat Puraposar, District Guna, the Panchayat has no objection to the mining work at the proposed site.
Present status of trees at the	परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खदान क्षेत्र में से कोई
proposed site	भी पेड़ काटा नहीं जावेगा ।
Current status of the	उत्तर दिशा-
proposed site as per Google Image.	-उत्खिनपट्टे से उत्तर पूर्व दिशा में स्थित चेक डैम का HFL 290
	मीटर की दूरी पर है एवं पूर्व दिशा में HFL 400 मीटर की दूरी पर
	-उत्खिनपट्टे से 119 मीटर पर उत्तर पश्चिम दिशा में नाला स्थित
	है।
	-उत्खिनपट्टे से लगभग 310 मीटर पर उत्तर-पश्चिम दिशा में
	आइसोलेटेड मकान स्थित है जिसमे कोई रहवास नहीं करता ।
	-उत्खिनपट्टे से 355 मीटर की दूरी पर उत्तर-पश्चिम दिशा में एक
	केसकैड स्थित है।
	पूर्व दिशा-
	उत्खिनपट्टे से पश्चिम दिशा में 292 की दूरी पर कुछ आइसोलेटेड
	मकान स्थित है।
	पश्चिम दिशा
	- उत्खिनपट्टे से पश्चिम दिशा में एक कच्चा रास्ता स्थित है
	जिसके सम्बन्ध में पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि कच्चे
	रास्ते से 50 मीटर तक कोई खनन कार्य नहीं किया जावेगा।
Status of the proposed mine	According to the Ekal Certificate Dispatch No. 589 dated
in the district survey report	23/06/2025 of the office of Collector (Mineral Branch) District-
(DSR)	Guna project proponent informed that the details of this mine are recorded new District Survey Report of the District. After
	discussion, the committee decided that in the context of the

decision taken in the 739th Meeting of the MPSEIAA dated
29/07/2022 (in Case No 9261/2022 - issued letter no. 1306 dated
04/08/22), this case should also be examined in view of
environmental sensitivity and recommended to SEIAA for
environmental approval.

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुनः मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गयी जिनका विवरण निम्नानुसार है:

Conditions	Completion status			
Plantation	a) Approx 80nos of plants are planted at the ML area.			
Wire fencing work	Total Periphery: 575m	About 80% of periphery i.e 400m is covered with wire fencing		
		~20% fencing i.e 175m fencing is proposed & cost of the same is addressed in EMP s		
Garland drain status	Total 420m long	Total 100m long garland drain is constructed partially in the Western periphery of the Marea.		
		Remaining 320 long garland drain will be constructed & the cost is added in the EMP budget sheet		
Verifiable proof of CER	Different activities for the village welfare is carried out which are: 1) Repairing of the village roads through filling of murrum & Bajri. 2) Contribution in village temple murti making in the village. 3) Regular contribution in the social & cultural activities held in village in coordination with the village panchayat			
Status of barrier zone	750 sq.mt of barrier zone of the mine lease area is excavated from which the backfilling of about 450 sq.mt of area is backfilled with the overburden and the cost for the backfilling of the remaining BZ is addressed in the EMP budget sheet.			
Proofs & photos of the	roofs & photos of the mentioned activities/conditions are given during the presentation.,			

प्रस्तुतीकरण के दौरान सिमिति द्वारा पाया गया कि क्रेशर प्लांट कि CTO कि वैधता समाप्त हो चुकी है जिसके सम्बन्ध में सलाहकार द्वारा बताया गया वर्ष 2021 से कार्यरत नहीं है अतः क्रेशर प्लांट को स्वीकृत उत्खिनपट्टे क्षेत्र के बाहर विस्थापित किया जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विषिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुषंसा करती है:—

- 1- अनुमोदित खनन् योजना अनुसार उत्पादन क्षमता स्टोन गिट्टी 7,938 घनमीटर/वर्ष है।
- 2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट स्थापित करने की अनुमित नहीं दी जा सकेगी।
- 3- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 9.63 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 2.76 लाख प्रति वर्ष।
- 4- ब्लास्टिंग प्रक्रिया में नियमानुसार सुरक्षात्मक उपायों का अनुपालन करते हुए आसपास के राहगीरों/कृषि भूमि/संरचना/पर्यावरण/जल निकायो/वृक्षों आदि की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
- 5- सी.इ.आर मद में निम्नानुसार राशि रु 1.15 लाख तथा सी.ई.आर में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 1 वर्ष में पूर्ण किये जाये।

	सी.ई. आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि			
1.	A solar panel of 3.0 kW will be installed at the village Government Middle School	90,000/-		
	Puraposar (excluding subsidy) and educational wall paintings, including			
	environment awareness slogans will be painted on the same school building.	10,000/-		
	Cost for the maintenance of the solar panel			
	(Rs 5000/yr upto 3 yrs)			
	योग	1,15,000/-		

6- वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2,400 वृक्षों का वृक्षारोपण । 17. Case No P2/1789/2025 Shri OMPRAKASH SOLANKI Lease Owner, R/o-31A, Adinath Colony, nagda, District-Ujjain State-Madhya Pradesh-456335. Prior Environment Clearance for M/s Borkheda Murrum in an area of 4.0 ha. (Murrum – 20,000 cum per year (Khasra No. 701 Govt. Land), Village-Borkheda, Tehsil – Nagda, District-Ujjain (MP) [542689] (Fresh-B2)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 29/8/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव एवं श्रीमती मीना चौरासिया FAE, M/s. Aseries Envirotek India Pvt. Ltd., Lucknow उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक का	Shri OMPRAKASH SOLANKI Lease Owner, R/o-31A, Adinath		
नाम व पता	Colony, nagda, District-Ujjain State-Madhya Pradesh-456335		
खसरा नं./ क्षेत्रफल	701 (सरकारी लेंड) 4.0 hectare.		
(सरकारी/निजी)			
स्थल	Village- Borkheda, Tehsil – Nagda, District- Ujjain (MP)		
लीज स्वीकृति	संचालक, प्रशासन एवं खनिकर्म, भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश भोपाल के		
	पत्र क्रमांक 324 दिनांक 09/01/2024 के द्वारा स्वीकृत ।		
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नही है ।		
प्रकरण की स्थिति	नया प्रकरण ।		
लीज क्षेत्र में क्रेशर की	आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 16.10 अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर प्रस्तावित		
स्थिति	नहीं है।		
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, द्वारा जारी		
स्थिति	स्थापना सम्मति (सीटीई) की Outward No:22070 दिनांक 23/06/2025		
	वैधता दिनांक . Consent to Establish for setting up of an industrial		
	plant/activities at 701, Village- Borkheda, Tehsil-Nagda, District -		
	Ujjain (M.P.) तक है ।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता मुरूम – 20000		
	घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना		
	अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता मुरूम – २०००० घनमीटर/वर्ष है।		
500 मीटर की परिधि में	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक		
अन्य खदानें	1776 दिनांक 02/03/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य		
	खदानें संचालित/स्वीकृत नही है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।		
राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण /	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक		

एसईजेडसे दूरी कोर/ जैव	1776 दिनांक 02/03/2024 के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में
विविधता बफर	नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है
	1
प्रस्तावित स्थल से 250	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक
मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र	1776 दिनांक 02/03/2024 के अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र
की स्थिति	नहीं है ।
तहसीलदार की अनापति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक
	1776 दिनांक 02/03/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव
	बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के
	स्मारक, रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग
	/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा
	संस्थान एवं जलीय निकाय /नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर /
	ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत बोरखेड़ा जिला उज्जैन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक- क्यू दिनांक
की अनापति	16/8/2022 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य हेतु कोई आपत्ति नहीं
	1\$
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों	Tree Existing- No
की वर्तमान स्थिति	
प्रस्तावित स्थल की गूगल	PP submitted that a very small water bunds is located 15m from E, 41m
इमेज अनुसार वर्तमान	form S, 45m from W direction and a pond approx. 190m in N direction & 217m in SSW direction. Hence 85m form E, 59m form S, 55m form
स्थिति	W direction setback (non- mining area) is proposed.
प्रस्तावित खदान की जिला	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक
सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	1776 दिनांक 02/03/2024 के अनुसार उपरोक्त खदान को अनुमोदित
	नवीन जिला सर्वेक्षण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जायेगा ।

Based on the presentation given by the project proponent, the Environmental Management Plan, and other submitted information being satisfactory and acceptable, the Committee recommends granting Prior Environmental Clearance with specific and standard conditions as per Annexure-A, as follows:

- 1. As per the approved mining plan, the maximum production capacity shall be Murrum -20,000 cum per year.
- 2. Under the Environmental Management Plan (EMP) head, the Capital Cost shall be Rs. 13.43 lakh and the recurring cost shall be Rs.5.20 lakh per year.
- 3. Under the CER head, an amount of Rs. 01.55 lakh shall be allocated as per the details below, and all activities proposed under CER shall be completed within the next 01year:

सी.ई.आर. मदद में प्रस्तावित गतिविधि	कैपिटल राशि रू. में	5 वर्ष तक रख रखाव राशि रू. में
सरकारी कन्या उच्चतर माध्यमिक स्कूल नागदा में 3.0 KWA के सोलर पैनल की स्थापना प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट के द्वारा किया जायेगा। नागदा के सरकारी कन्या उच्चतर माध्यमिक स्कूल में डिस्पोजल सेनेटरी मशीन की स्थापना करवाया जाएगा।	1,20,000/- (सब्सिडी छोड़ के) 20,000/-	@5,000/- / yaer for at least
योग	Rs. 1,40,000/-	three years

4. As per the plantation program (with continuous irrigation, replacement of dead plants for Five years, and maintenance throughout the mining period), at least 2000 trees shall be planted.

18. Case No P2/607/2024 Shri Ajit Singh, Partner, M/s LAKSHAY MINERALS, Plot no. 225, Industrial area, Amkuhi, Katni (M.P.) Prior Environment Clearance for M/s LAKSHAY mineral, Bhadawar dolomite MINE of 4.310 ha VILLAGE – BHADAWAR Tehsil - BADWARA DISTRICT – KATNI (M.P) Khasra no. – 679, 680, 684, 694,695, 752/673 [545489] (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 29/08/25 को परियोजना प्रस्तावक श्री अजीत सिंह एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा M/s. Creative Enviro Services, Bhopal उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

o. 225,		
o. 225,		
P.).		
ध्यप्रदेश		
भोपाल के पत्र क्रमांक 8431-32 दिनांक 04/07/23 के द्वारा 30 वर्ष के		
लिए स्वीकृत ।		
controlled blasting		
में क्रशर		
दिनांक		
वैधता		
र सिया		
गेमाईट-		
अनुसार		
परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की		
-		

उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता डोलोमाईट- 1,05,334 टीपीए हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता डोलोमाईट-1,05,334 टीपीए
	है।
500 मीटर की परिधि में	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र
अन्य खदानें	क्रमांक 170 दिनांक 17/01/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि 05
	अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैए इस प्रकार कुल रकबा 19.776 होता
	हैए अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
राष्ट्रीय उद्यान/	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र
अभ्यारण/ एसईजेड से	क्रमांक 170 दिनांक 17/01/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि
दूरी कोर/ जैव विविधता	में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र
बफर	स्थित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल से 250	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र
मीटर की दूरी पर वन	क्रमांक 170 दिनांक 17/01/2024 अनुसार 250 मीटर की परिधि में
क्षेत्र की स्थिति	वन क्षेत्र नहीं है ।
तहसीलदार की अनापति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र
	क्रमांक 170 दिनांक 17/01/2024 अनुसार पूर्वी दिशा में लगभग 300
	मीटर की दूरी पर तालाब बना हैए शेष 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम	ग्राम पंचायत भादावर जिला कटनी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-1 दिनांक
पंचायत की अनापति	22/10/2022 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य हेतु कोई
	आपति नहीं है का प्रस्ताव पारित।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों	The core zone is covered by sparse vegetation of grass only
की वर्तमान स्थिति	
प्रस्तावित स्थल की	दक्षिण दिशा - तालाब – 300 मी.
गूगल इमेज अनुसार	187 to 197 to 19
वर्तमान स्थिति	पश्चिम दिशा- प्राकृतिक नाला – 400 मी.
प्रस्तावित खदान की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के पत्र क्रमांक 2853
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में	दिनांक 29/07/2025 अनुसार उक्त उत्खनन पटटा को आगामी
स्थिति	डिस्टिक सर्वे रिपोर्ट (डीएसआर) सम्मिलित कर लिया जावेगा ।
	समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय
	पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकरण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक
	दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 - जारी पत्र क्रमांक
	1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस

प्रकरण	को	भी	पर्यावरणीय	संवेदनशीलता	के	दृष्टिगत	परीक्षण	कर
पर्यावरप	गीय	स्वीवृ	ृति हेतु सिय	ा को अनुशंसित	वि	व्या जाये	1	

The committee observed that the TOR was granted for this case and for such case and other similar cases, a litigation is pending in the H'ble Supreme Court, hence technical appraisal / recommendation shall not appropriate at this stage as the matter is subjudice.

- 19. Case No P2/1519/2025 SHRI VISHAL SHIVHARE S/O. SHRI MOHAN SHIVHARE ADDRESS –NARSINGHGARH, DISTRICT RAJGARH, (M.P.) Prior Environment Clearance for Lakhanwas Stone mine for making Gitti & M-sand of 2.00 Hectare Area, Khasra No. 904/1/1, in Village Lakhanwas, Tehsil Suthaliya, District-Rajgarh (M.P.) (Maximum Production 16,000 Cubic Meter) (Gitti- 8,000 m3 & M-Sand -8,000 m3) [537146] (B2)
 - Earlier this case was discussed in the 809th SEAC meeting dated 10/07/2025,
 wherein after discussion following query waqs issued: -
 - 1. The PP shall upload comments/CTE of MPPCB in compliance of MOEF&C's O.M. dated 14.01.2025 on the Parivesh portal.
 - 2. Please upload Certificate of accredited consultancy firm issued by NABET-QCI with their validity.
 - 3. Please submit Ekal certificate and document regarding incorporating lease details in the DSR.

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेष पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे आज दिनांक 29/08/2025 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्रीमती मीना चौरिसया FAE, M/s Asries Envirotek India Pvt. Ltd., Lucknow उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किये गये ओएम दिनांक 14/01/2025 के परिप्रेक्ष्य में म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कमेन्ट्स/सीटीई की प्रति परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है vide no. 27139 dated 28.07.2025 (Valid upto 16.07.2025) ।
- Uploaded NABET-QCI certificate- vide no. NABET/EIA/2225/RA 0275 which is valid upto November 09, 2025 |
- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायगढ , क्रमांक 536 दिनांक 29.04.2025 का पत्र प्रस्तुत किया , पत्र में उल्लेख है उक्त खदान नवीन DSR में जोड़ी जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता <u>Gitti- 8,000 m3 & M-Sand -8,000</u> <u>m3.</u>
- 2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खदान क्षेत्र में क्रशर/एमसेंड प्लांट प्रस्तावित है। म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रशर/ एमसेंड प्लांट में वायु प्रदूषण रोधि उपकरणों की स्थापना तथा प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जावेगी।
- 3. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।

- 4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू.19.84 एवं रिकृरिंग राशि रू. 3.47 प्रति वर्ष।
- 5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू 1.50 लाख (भेन्टेनेन्स हेतु रू. 3000 प्रति वर्ष) सी.ई. आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

Sr. no.	सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू .में)	हर वर्ष मन्टेनन्स हेतु
1	शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल, लखनवास में 3 KW का सोलर पैनल लगाया जाएगा एवं साइन्स किट	1,50,000	3000

6. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1010 वृक्षों का वृक्षा का रोपण किया जाना प्रस्तावित है।

- 20. Case No P2/1597/2025 SUBHASH PATIDAR, Lessee, Bhesasuri Mohalla, Madawda, Khacharod, Ujjain (M.P.). Prior Environment Clearance for M/s Madwada Stone (Gitti) M- Sand Quarry, Stone Quarry amd M-Sand in an area of 1.00 ha. (Gitti 6,000 and M-Sand 10,000 cum per year) (Khasra No. 2644), Village-Medawada, Tehsil Khachrod, District-Ujjain (MP) DEIAA to SEIAA [467658] (B2).
 - Earlier this case was discussed in the 812th SEAC meeting dated 09/08/2025, wherein after discussion following query waqs issued: -
 - 1. क्षमता विस्तार के लिए संशोधित सीटीई प्रस्तुत करें।
 - 2. बेरियर जोन पश्चिम दिशा में खुदा हुआ है अतः भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 08/01/2019 के पालनार्थ पुर्नभरण करवाकर वृक्षारोपण कर संरक्षित कराएं तथा प्रमाणिक पालन प्रतिवेदन जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत करें।
 - 3. समिति द्वारा सुझाए अनुसार संशोधित ईएमपी एवं सीईआर प्रस्तुत करें।

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 19/7/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार रीना त्रिवेदी ऑनलाइन, में. एपेक्स मिनटेक कंसलटेंट, उदयपुर उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का	Shri SUBHASH PATIDAR, Lessee, Bhesasuri Mohalla, Ma			
नाम व पता	Khacharod, Ujjain (M.P.).			
खसरा नं./ क्षेत्रफल	266 (निजी भूमि)	1.0 hectare.		
(सरकारी/निजी)				
स्थल	ग्राम मडावदा, तहसील, खाचरौद, जिला	उज्जैन (म.प्र.)		
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक 1201			
	दिनांक 01/6/2017 के द्वारा 10 वर्ष के लिए स्वीकृत ।			
लीज क्षेत्र में क्रेशर की	आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 33.10 अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर			
स्थिति	प्रस्तावित है।			
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नही है ।			
		··		
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति	क्षेत्रीय कार्यालय मध्यप्रदेश प्रदूषण नि			
की स्थिति	स्थापना/संचालन सम्मति (सीटीई	⁄ सीटीओ) की वैधता दिनांक		
	30/4/2024 तक है ।			

प्रकरण की स्थिति	डिया
लीज क्षेत्र में क्रेशर की	आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 33.10 अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर
स्थिति	प्रस्तावित नहीं।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता गिटटी - 6000
	घनमीटर/वर्ष एवं एम सेंड - 10,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया
	गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन
	क्षमता गिटटी – 6000 घनमीटर/वर्ष एवं एम सेंड – 10,000
	घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक 10387
अन्य खदानें	दिनांक 06/12/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि कोई अन्य
	खदानें संचालित/स्वीकृत नही है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
राष्ट्रीय उद्यान/	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक 10387
अभ्यारण एसईजेड /से	दिनांक 06/12/2023 के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में
दूरी कोर/ जैव विविधता	नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित
बफर	नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल से 250	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक 10387
मीटर की दूरी पर वन	दिनांक 06/12/2023 के अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र
क्षेत्र की स्थिति	नहीं है ।
तहसीलदार की अनापति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक 10387
	दिनांक 06/12/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव
	बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व
	के स्मारक, रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय
	राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन हवाई अड्डा,
	प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय /नदी / तालाब / बांध / स्टॉप
	डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम	ग्राम पंचायत मडावदा जिला उज्जैन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-5 दिनांक
पंचायत की अनापति	01/11/2014 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य हेतु कोई आपित
	नहीं है का प्रस्ताव पारित।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों	Tree existing within lease area - No
की वर्तमान स्थिति	
प्रस्तावित खदान की	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण उज्जैन जिले
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में	की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के सरल क्रमांक 21 पर दर्ज है ।
स्थिति	

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि पूर्व में इस प्रकरण में डिया द्वारा ऐसी प्रदाय की गई थी वर्तमान में गिट्टी के उत्पादन के साथ एम सैंड का उत्पादन भी प्रस्तावित है। अत: प्रकरण क्षमता विस्तार का है, लीज क्षेत्र के पश्चिम दिशा में एक पक्का रोड एवं वेयर हाउस 80 मी. की दूरी पर है अत: इस दिशा में 20 मी. का क्षेत्र गैर खनन के रूप में छोड़ा गया है अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	लगभग 50 प्रतिशत पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की	बेरियर जोन पश्चिम दिशा में खुदा हुआ है।
वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर	
वृक्षारोपण	
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	अवलोकित की गई एवं सुधार कार्य करना
	प्रस्तावित है।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि
	खदान क्षेत्र में लगभग 60 पेड़ लगाये गये
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य	सामाजिक कार्य के अन्तर्गत ग्राम पंचायत को
का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	मिट्टी एवं मुरम प्रदाय की गई आदि के प्रमाणिक
	साक्ष्य प्रस्तुत किये।

प्रस्तुतीकरण के पश्चात समिति के द्वारा निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए

- 1. क्षमता विस्तार के लिए संशोधित सीटीई प्रस्तुत करें।
- 2. बेरियर जोन पश्चिम दिशा में खुदा हुआ है अतः भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 08/01/2019 के पालनार्थ पुर्नभरण करवाकर वृक्षारोपण कर संरक्षित कराएं तथा प्रमाणिक पालन प्रतिवेदन जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत करें।
- 3. समिति द्वारा सुझाए अनुसार संशोधित ईएमपी एवं सीईआर प्रस्तुत करें।

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 29/8/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार पर्यावरणीय सलाहकार रीना त्रिवेदी ऑनलाइन, में.एपेक्स मिनटेक कंसलटेंट, उदयपुर उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

 प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में सीटीई/कमेंट्स के लिए आवेदन किया गया है परंतु अभी सीटीई प्राप्त नहीं हुई है।

• बेरियर जोन पश्चिम दिशा में खुदा हुआ है इस संबंध में अवगत कराया कि बेरियर जोन में बैक फिलिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं पौधारोपण का कार्य जारी है।

समिति ने उपरोक्त संबंध में पर्यावरण सलाहकार को निर्देश दिए कि मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में सीटीई/कमेंट्स प्राप्त होते ही पोर्टल पर अपलोड करें एवं डिया की शर्तों में उल्लेखित कार्यों को ईएमपी/सीईआर में शामिल करते हुए प्रस्तुत करें। तत्पश्चात् प्रकरण पर विचार किया जावेगा।

- 21. Case No. P2/632/24 Shri MUKESH PATIDAR, Project Proponent, Village Silkuwa, Tehsil Dahi, Dist. Dhar (Madhya Pradesh). Prior Environment Clearance for Stone (Gitti) in an area of 2.00 ha. (Stone (Gitti) 11,738 m3/Year (Khasra No. 30), Village Tana, Tehsil Kukshi, Dist. Dhar (M.P.) [466112] (Query Reply) DEIAA Case (B2).
 - Earlier this Case was discussed in the SEAC meeting 752 dated 16.05.2024, 762 meeting dated 03.06.2024 & 777th SEAC meeting dated 11/03/2025.
 - In the SEAC meeting 814th dated 26.07.2025 this case was scheduled -:

प्रकरण के परीक्षण उपरांत समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

• पेसा संबंधी एनओसी प्राप्त होते ही प्रकरण पर पर्यावरणीय स्वीकृति अनुषंसा हेतु प्रकरण अग्रेषित किया जाएगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेष पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे आज दिनांक 29/08/2025 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार रीना त्रिवेदी ऑनलाइन, M/s. एपेक्स मिनटेक कन्सलटेंट, उदयपुर उपस्थित हुई और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

पर्यावरण सलाहकार द्वारा उक्त उत्खिनिपट्टे की **पैसा एक्ट के तहत ग्राम पंचायत चिपराटा जनपद पंचायत** निसरपुर , जिला धार (म.प्र.) से पत्र दिनांक 21-08-2025 द्वारा पेसा ग्राम एनओसी परिवेश पोर्टल पर ADS के माध्यम से जमा कर दी गयी है ।

अतः पूर्व में 814वीं SEAC बैठक दिनांक 26/07/2025 में प्रस्तुत की गई जानकारी एवं उपरोक्त ADS रिप्लाई के माध्यम से दी गई जानकारी का समिति द्वारा अवलोकन अवलोकन किया गया जो कि संतोषजनक पायी गयी अतः ADS के माध्यम से दी गई जानकारी को सम्मिलित करते हुए तथा पूर्व में **SEAC बैठक क्रमांक** 814वीं SEAC बैठक दिनांक 26/07/2025 में की गई अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय लिया गया।

- 22. Case No P2/873/2024 NITIN AGRAWAL, Owner, NEAR OLD STATE BANK, CIVIL LINES, MANDLA (M.P.) Prior Environment Clearance for Dolomite Mine in an area of 1.81 ha. (17,220 TPA) (Khasra No. 450,452,457) Village Kata Mal.Tehsil Bichhiya District Mandla (M.P.). [466098] DEIAA- Re-appraisal] (B2 Reffered Back)
 - पूर्व में इस प्रकरण में SEAC की 759 वीं बैठक दिनांक 28/05/2024 में पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की गई थी।
 - सिया की 884वीं बैठक 07/05/25 को प्रकरण को सिएक को रिफर्ड बैक किया गया।
 - प्रकरण को सिएक की 814 वीं बैठक दिनांक 26/07/2025 में सिया द्वारा उठाये गये बिंदुओं के संबंध में प्रकरण पर चर्चा उपरांत निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए ।

समिति उक्त संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिए :-

- बेरियर जोन क्षेत्र खुदा हुआ है अतः भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 08/01/2019 के पालनार्थ पुर्नभरण करवाकर वृक्षारोपण कर संरक्षित कराएं तथा प्रमाणिक पालन प्रतिवेदन जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत करें।
- डिया द्वारा जारी ईसी शर्तों का पालन प्रमुख रूप से लीज एरिया के चारो ओर फेन्सिंग, वृक्षारोपण, गारलैण्ड ड्रेन, सेटलिंग टैंक का निर्माण, बैरियर जोन संरक्षण की स्थिति आदि संबंधित जियोटेग फोटोग्राफ तथा सीईआर कार्यों संबंधित प्रमाणित दस्तावेज।
- पेसा संबंधी एनओसी प्रस्तुत करें।

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 29/8/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री मोहित रघुवंशी, ऑनलाइन, मेसर्स Aegis Environmental Research Pvt. Ltd., Noida उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

- पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बेरियर जोन के पुनःभरण करवाकर वृक्षारोपण, फेंसिग, श्रमिकों के शेल्टर तथा गारलैंड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक के जियोटेग फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किए गए।
- खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति शर्तों के पालन प्रतिवेदन के संबंध में समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई।

डिया ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति			
लीज के चारों ओर फेन्सिग की वर्तमान स्थिति	टोटल लीज एरिया पेरिफेरि 715मी. में से 90 % (644m) फेन्सिगं का कार्य हुआ है। 10 % (71m) अभी बाकी है।			

ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.5 मीटर पर वृक्षारोपण	ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार 100 पौधे लागाये जाने थे अतः 150 पौधे लीज क्षेत्र के 7.5 मी. बेरियर जोन में लागाये गये है।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई। टोटल गारलेण्ड ड्रेन पेरिफेरि 715मी. में से केवल 100मी. गारलेण्ड ड्रेन बना हुआ है। 615मी बाकी है एवं एक सेटलिंग टेंक बना है।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	01 बैंच है।
रेस्ट शेल्टर, शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था की वर्तमान स्थिति	सभी सुविधाओं के साथ रेस्ट शेल्टर का निर्माण करवाया गया है। जिसमें शौचालय व पीने के पानी की व्यवस्था भी उपलब्ध है। खदान क्षेत्र में प्रथमिक चिकित्सा के लिए फास्ट-एड बोक्स भी उपलब्ध है।
7.5 मी बैरियर जोन की स्थिति	7.5 मी बैरियर जोन सुरक्षित है।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया है। कि शास. प्रथमिक शाला काटामाल में खेल गतिविधियों का आयोजन किया गया है। परन्तु साक्ष उपलब्ध नहीं है।
उत्खनन किया हुआ क्षेत्र	4509m2 x 8m = 36,072 cum

 पर्यावरण सलाहकार द्वारा कार्यालय ग्राम पंचायत – बरबसपुर, वि.खं. बिछिया, जिला – मंडला, म.प्र. में आयोजित ग्राम सभी बैठक 29/08/23 के माध्यम से पेसा संबंधी अनापति भी प्रस्तुत की गई।

अतः पूर्व में 759 वीं बैठक दिनांक 28/05/2024 में प्रस्तुत की गई जानकारी एवं उपरोक्त ADS रिप्लाई के माध्यम से दी गई जानकारी का समिति द्वारा अवलोकन अवलोकन किया गया जो कि संतोषजनक पायी गयी अतः ADS के माध्यम से दी गई जानकारी को सम्मिलित करते हुए तथा पूर्व में SEAC बैठक क्रमांक 759 वीं बैठक दिनांक 28/05/2024 में संशोधित सीईआर बजट रू. 80,000 के साथ की गई अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय लिया गया।

- 23. Case No. P2/1427/2025 Shri Avinash Landge, Director and Authorized Signatory of PROSPECT RESOURCES PRIVATE LIMITED, Regd. Office: 84, Makers Chamber III, Nariman Point, Mumbai 400021. Prior Environment Clearance for Imaliya Gold & Base Metal (Ag, Cu, Pb & Zn) Block Mining of M/s PROSPECT RESOURCES PRIVATE LIMITED, in an area of 6.51 ha. (ROM Containing Gold, Silver and other Base Metals-33,214 Tons per Annum) (Khasra No. 1536(P), 1537(P), 1557, 1563(P), 1564(P), 1565(P) & 1676(P) Village Imaliya Tehsil- Dhimarkheda current tehsil sleemanabad, District Katni (M.P.). [547234] (EIA)
 - Earlier, this case was discussed in the 820th SEAC meeting dated 19th August 2025 wherein after discussion following query was issued:-

After presentation the committee asked PP to submit following clarification for further consideration of the project: -

- Authentic agreement between PP and Environmental Consultant for conducting baseline data study, monitoring for EIA preparation alongwith NABET certificate.
- Hydrological study report annexure 24 of EIA report, table 5.2 Mine seepage from walls of mine pit reveals seepage quantity from first year to fifth year as 45, 83,122,160, and 198 cum per day respectively (page 634). The NOC from CGWA is valid till dt 24/04/2027, for 83 cum per day only, Pl provide GW management plan for all five years.
- During public hearing GW draw-down problem is raised by public, it requires to be addressed in view of Hydrological study report as well and daily water requirement for mine 92 cum day.
- EIA report reveals water requirement 66 cm per day for various activities including mineral process, pl submit treatment arrangement for mineral process water quantity 53 cum per day.

The proposed mine falls under Category B-1 and requires prior environmental clearance. On 29/08/2025, the project proponent, Mr. Avinash Landge, appeared online along with his environmental consultants, Mr. Amar Singh Yadav and Ms. Garima Shriwastava of M/s Aseries Envirotek India Pvt. Ltd., Lucknow, Uttar Pradesh, and made a presentation before the committee.

Project Description	Documents submitted by the project
	proponent
Name and address of the project	Shri Avinash Landge, Director, PROSPECT
proponent	RESOURCES PRIVATE LIMITED, Regd.
	Office: 84, Maker Chambers III, Nariman

P	oint, Mumbai 400021			
	1536(P), 1537(P), 1557, 6.51 ha			
1	563(P), 1564(P), 1565(P)			
&	α 1676(P)			
Mine place V	Village - IMALIYA Tehsil- Dhimarkheda			
cı	current tehsil sleemanabad District Katn			
1)	(M.P.)			
Lease Approval T	The Letter of Intent (in-principal grant of			
le	lease) for mining of Ore containing Gold and			
01	other base metals (Ag, Cu, Pb, Zn) from the			
le	lease area was accorded by Govt. of Madhya			
P	radesh, Mineral Resource Department,			
	Mantralaya, vide Order No. 3-4/2020/12/2,			
	Shopal, dated 21/09/2020 & vide letter no.			
	-4/2020/12/2 dated 20.09.2023 and			
	extend for 2 years.			
	Muffle Blasting			
	New case			
	Point no. 16.10, No crusher will be installed			
	within the mining lease area.			
	As per the letter issued by the Madhya			
	Pradesh Pollution Control Board, Bhopal			
	(Outward No. 123391 dated 11/08/2025),			
	the (CTE) has been granted for mining of			
	ore containing gold and other base metals,			
	with a production capacity of 33,214 metric			
	tonnes per year. This certificate is valid			
	ntil 31/08/2030. The Committee issued the Standard ToR			
	ated 08/05/2025, in accordance with the			
	roject proponent has submitted the			
•	EIA/EMP report.			
	The maximum production capacity			
	roposed by the project proponent is			
	33,214 tonnes per annum of ROM			
	containing gold, silver, and other base			
	metals. As per the approved mining plan,			
	he maximum production capacity remains			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

Other mines within 500m radius	This is major mineral project.				
Distance from National Park/	As per letter No. 4614 dated 26/06/2024 of				
Sanctuary/ ESZ Core/ Biodiversity	the Divisional Forest Officer, General				
	Division, District Katni, M.P., National Park /				
	Sanctuary/ Eco Sensitive Zone/ biodiversity				
	area is not located within the radius of 10				
	km.				
	According to the letter No. 4614 dated				
	26/06/2024 of Divisional Forest Officer,				
	General Division, District Katni, M.P., there				
	is no forest area within 250-meter radius.				
Tehsildar NOC	As per Google image, railway line is located				
	at a distance of 50 meters in south east				
	direction.				
,	As per GP NOC vide letter no. kramank No. 1				
	dated 30/11/2024 Imaliya, District Katni,				
	there is no objection for carried out mining				
	activity.				
Present status of trees at	The project proponent has stated that there				
the proposed site	are 47 trees present within the lease area,				
	which will not be uprooted. If uprooting of				
	any trees are required in the future, it will				
	be undertaken only after obtaining				
	permission from the competent authority.				
Current status of proposed site as	North east – canal 550m				
per the current image	North west- Imaliya Settlements-230 mt.				
	South East - Railway Line- 50 mt				
	The railway line and pakka road will be				
	affected due to proposed underground (cut				
	& fill method) mining activities.				
	The unpaved road passing through the mine				
	area will be diverted through barrier zone				
	as when required with permission from the				
	Concerned Authority.				
Status of the proposed mine in the	DSR is not required as the proposed mine is				
District Survey Report	of major mineral.				
Public hearing	The Committee discussed the public hearing				
	in detail, including the suggestions and				
	objections given by local people, and				

reviewed	the	social	and	environmental	
steps prop	osed	in the p	rojec	t as needed.	

During presentation the Env. Consultant submitted following details about the proposed project: -

The project will be carried out through underground mining adopting the cut-and-fill method, which will have no negative impact on the shelters located in the boundary of the lease area, the railway line situated at 50 meters to the south-east direction of the mine area, or the pakka road connected to Pillar No. 3 of the mine area. The unpaved road passing through the mine area will be relocated as required, after obtaining permission from the competent authority.

CGWA NOC (Certificate No. NOC/MIN/MP/2025/6093/N dated 25.04.2025) has been obtained from the Government of India, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, Central Ground Water Authority, which permits the water seepage of 83 KLD and 9 KLD for domestic purposes. This NOC is valid until 24.04.2027. The 83 KL of water will be utilized for plantation, dust suppression, agricultural activities, workshop and mineral processing. Excess water will be made available for nearby farmers for their agricultural use.

PP discussed the plan to prevent potential subsidence and minimize its impacts. Backfilling provides strong support to the overlying surface, which reduces the risk of subsidence.

Due to underground mining, there is very insignificant impact in the study area.

- ➤ The Underground method (cut and fill method) of mining is preferred due to space restriction and requiring OB development on all the four sides and thus Blocking Huge precious reserve in "Pit Slope". Huge space is required for storage of OB and Tailing Cakes and leaving almost no space for beneficiation and other structures required.
- As per DFO Letter, of the Forest Division Officer, Katni, Madhya Pradesh vide Letter no Kr. 4614 Katni dated-26.06.2024, there are no National Parks, Sanctuaries, Biosphere Reserves, Wildlife Corridors, Ramsar site Tiger/ Elephant Reserves and no wild life is present in the vicinity of project site.
- ➤ No Schedule 1 Species has been observed during site survey within 10 km radius from the boundary of the lease area. Hence species-specific conservation plan is not required.
- ➤ No rehabilitation is required hence R&R Plan is not required.

- ➤ The proposed area is a Govt. and Pvt. land and already allotted to the project proponent for mining. Mineral Resource Department Mantralay, Madhya Pradesh has allotted the Mine Lease area to the project proponent and does not require any CLU (change in land use pattern) or diversion.
- The proposed area is a Govt. and Pvt. land and after obtaining prior environmental clearance, lease deed agreement along with necessary permissions, the land acquisition (mineral/surface right) will be obtained through District Collector, Katni.
- ➤ One season Baseline data of water quality, noise level, soil and flora- fauna have been collected from 1st March 2024 to 31st May 2024, by adopting CPCB norms and discussed in Chapter-3 of EIA/EMP Report.
- ➤ Provision of green belt all along the periphery of the lease area.
- ➤ Personal protective equipment's like earmuffs and earplugs will be provided to workers, working in high noise areas.
- > PUC certified vehicle will be used for mitigation of Noise pollution.
- The predicted GLC of PM10 viz. 3.144 μg/m3 for 24 hours Average Concentration was predicted inside the core zone near active mining area. The cumulative GLC of PM10 was found to be 71.144 μg/m3 at Mine Site.
- The predicted GLC of PM2.5 viz. 1.557 μg/m3 for 24 hours Average Concentration was predicted inside the core zone near active mining area. The cumulative GLC of PM2.5 was found to be 42.557 μg/m3 at Mine Site.
- From The predicted GLC of SO2 viz. 1.253 μg/m3 for 24 hours Average Concentration was predicted inside the core zone near active mining area. The cumulative GLC of SO2 was found to be 18.253 μg/m3 at Mine Site.
- The predicted GLC of NO2 viz. 1.483 μg/m3 for 24 hours Average Concentration was predicted inside the core zone near active mining area. The cumulative GLC of NO2 was found to be 27.483 μg/m3 at Mine Site.
- ➤ The project proponent needs to 83 KLD dewatering and 9 KLD for domestic which will be extracted from ground, NOC from CGWA has been granted vide NOC No. NOC/MIN/MP/2025/6093/N, Date of Issuance 25/04/2025. refer page no.638 of annx. 24 of EIA Report. (83 KLD is mine seepage and 9 KLD is for domestic use).
- ➤ Mining activity will be done by underground method so no major impact will be anticipated on surface water sources. Surface run-off from the excavated material dumps as well as from the construction areas has the potential for impact on surface water bodies. This will be mitigated by construction of garland drains and settling pits around the waste dumps.
- ➤ The proposed manpower on the mine site is during operational phase 296 and estimated Domestic Water Requirement 9 KLD. Domestic waste water will be disposed in Sewage Treatment Plant and treated water will be used for greenbelt development.
- ➤ Hydrogeological Study has been carried out. Report has been annexed with the EIA Report. Annexure 24. CGWA NOC has obtained.

- ➤ 47 trees are existing within lease area, and no tree will be uprooted. Only Shrub of lantana, hiptis etc. if plan to uprooted after permission of competent authority.
- ➤ The plantation will be done in first year with Causality replacement will be proposed from 2nd to 5th year and Maintenance will be proposed from 2nd year to at the end of lease period.

After presentation the committee asked PP to submit following clarification for further consideration of the project: -

- Authentic agreement between PP and Environmental Consultant for conducting baseline data study, monitoring for EIA preparation alongwith NABET certificate.
- Hydrological study report annexure 24 of EIA report, table 5.2 Mine seepage from walls of mine pit reveals seepage quantity from first year to fifth year as 45, 83,122,160, and 198 cum per day respectively (page 634). The NOC from CGWA is valid till dt 24/04/2027, for 83 cum per day only, Pl provide GW management plan for all five years.
- During public hearing GW draw-down problem is raised by public, it requires to be addressed in view of Hydrological study report as well and daily water requirement for mine 92 cum day.
- EIA report reveals water requirement 66 cm per day for various activities including mineral process, pl submit treatment arrangement for mineral process water quantity 53 cum per day.

PP has submitted the response of above quarries, which was placed before the committee dated 29.8.2025 and the same found satisfactory. hence committee decided to recommend the case for grant of prior EC subject to the following special conditions in addition to the standard conditions at annexure 'A':

U/g Equipment details – Shaft, Rock support drill rigs, drills, loaders, ventilation systems, or stope designs

Air Pollution Control Measure -

- ➤ The primary method of managing dust is water sprinkling. Most of the equipment is equipped with water sprays to limit the amount of dust produced during mining.
- ➤ Mine ventilation system shall be adopted as per the statutory Director General Mine Safety (DGMS) approved norms.
- ➤ Wet drilling method will be adopted.
- ➤ Personal Protective Equipment (PPE) like ear muffs/ear plugs will be provided to the operators, Dust mask shall be provided.

- ➤ Water sprinkling on haul/approached road, Regular maintenance of Dumper/ Tippers to keep emissions under control.
- > Green Belt development in the barrier zone

Water Pollution control measures: -

- ➤ The proposed manpower on the mine site is 296 and estimated Domestic Water Requirement 9 KLD. Domestic waste water will be disposed in Sewage Treatment Plant and treated water will be used for greenbelt development.
- > Sedimentation ponds/ tailing pond, Garland drains, Groundwater monitoring (piezometers, CGWA NOC), Water recharge structures, water management & planning.

The EMP and other submissions made by the PP earlier were found to be satisfactory and acceptable, hence committee decided to recommend the case for <u>Prior Environment Clearance for Imaliya Gold & Base Metal (Ag, Cu, Pb & Zn) Block of M/s PROSPECT RESOURCES PRIVATE LIMITED, in an area of 6.51 ha. (ROM Containing Gold, Silver and other Base Metals-33,214 Tons per Annum) (Khasra No. 1536(P), 1537(P), 1557, 1563(P), 1564(P), 1565(P) & 1676(P)) Village-Imaliya Tehsil-Dhimarkheda current tehsil sleemanabad, District Katni (M.P.).</u>

Subject to the following special conditions:

I. Statutory compliance:

- I. Environmental Clearance (EC) is subject to orders/judgment of Hon'ble Supreme Court of India, Hon'ble High Court, Hon'ble NGT and any Court of Law, Common Cause Conditions as may be applicable.
- II. The project proponent complies with all the statutory requirements and Judgment of Hon'ble Supreme Court dated 2nd August, 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in matter of Common Cause versus Union of India & Ors before commencing the mining operations.
- III. Project Proponent (PP) shall obtain Consent to Operate after grant of Environmental Clearance and effectively implement all the conditions stipulated therein. The mining activity shall not commence prior to obtaining Consent to Operate from the concerned State Pollution Control Board/Committee.
- IV. The PP shall adhere to the provision of the Mines Act, 1952, Mines and Mineral (Department & Regulation, Act, 2015 and rules & regulations made there under PP shall adhere to various circulars issued by Directorate General Mines Safety (DGMS) and Indian Bureau of Mines from time to time.
- V. The Project Proponent shall obtain consents from all the concerned land owners, before start of mining operations, as per the provisions of MMDR Act, 1957 and rules made there under in respect of lands which are not owned.

- VI. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA.II(M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- VII. The project proponent shall obtain necessary prior permission of the competent authorities for drawl of requisite quantity of surface water and from CGWA for renewal of ground water for the project.
- VIII. A copy of EC letter will be marked to concerned Panchayat/local NGO etc. if any from whom suggestion/representation has been received while processing the proposal.
 - IX. State Pollution Control Board/Committee shall be responsible for display of the EC letter at its Regional Office, District Industries Centre and Collector's office/Tehsildar's Office for 30 days.
 - X. The Project Authorities should widely advertise about the grant of this Revalidated Environmental Clearance letter by printing the same in at-least two local newspapers, one of which shall be in vernacular language of the concerned area. The advertisement shall be done within 7 days of the issue of the clearance letter mentioning that the instant project has been accorded EC and copy of the EC letter is available with the State/Pollution Control Board/Committee and web site of the Ministry of Environment. Forest and Climate Change (www.environmentclearance.nic.in). A copy the advertisement and may be forwarded to the concerned MoEF&CC Regional Office for compliance and record.
 - XI. The Project Proponent shall inform the MoEF&CC for any change in ownership of the mining lease. In case there is any change in ownership of mining lease is transferred than mining operation shall only be carried out after transfer of EC as per provision of the Para-11 of EIA Notification, 2006 as amended from time to time.

II. Air quality monitoring and preservation

- I. The Project Proponent shall monitor critical parameters, relevant for mining operations, of air pollution viz, PM10, PM2.5, NO2, CO and SO2 etc. covering the aspects of transportation and use of heavy machinery in the impact zone. The ambient air quality shall also be monitored at prominent places like office building. Canteen etc. as per the site condition to ascertain the exposure characteristics at specific places.
- II. Effective safeguard measures for prevention of dust generation and subsequent suppression (like regular water sprinkling, metalled road construction etc) shall be carried out in areas prone to air pollution wherein high levels of pM10 and PM2.5 are evident such as haul road. Loading and unloading point and transfer points. The Fugitive dust emissions from all sources shall be regularly controlled by installation of required equipments/machineries and preventive maintenance. In shall be ensured that air pollution level conform to the standards prescribed by the MoEFCC/Central Pollution Control Board.

III. Water quality monitoring and preservation

- I. In case mining operation involves unexpected variations inflow of ground water into mine pit, if any, shall be reported to the concerned regional director, CGWB.
- II. Project Proponent shall regularly monitor and maintain records w.r.t. ground water level and quality in an around the mine lease by establishing a network of existing wells as well as new piezo-meter installations during the mining operating in consultation with Central Ground Water Authority /State Ground Water Department.
- III. The project proponent shall undertake regular monitoring of water quality upstream and downstream of water bodies passing within and nearby adjacent to the mine lease and maintain its records. It shall be ensured that no obstruction and/or alteration be made to water bodies during mining operations without justification and prior approval of MoEFCC. The monitoring of water courses/bodies existing in lease area shall be carried out four times in a year viz. pre-monsoon (April-May), monsoon (August) post monsoon (November) and winter (January) and the record of monitored data may be sent regularly to Ministry of Environmental. Forest and Climate Change and its Regional Office,
- IV. Project Proponent shall plan develop and implement rainwater harvesting measures on long term basis to augment ground water resources in the area in consultation with Central Ground Water/State Groundwater Department. A report on amount of water recharged needs to be submitted to regional office MoEFCC annually.
- V. Industrial waste water (workshop and waste water from the mine) should be properly collected and treated so as to conform to the notified standards prescribed from time to time. The standards shall be prescribed through Consent to Operate (CTO) issued by concerned State Pollution Control Board (SPCB). The workshop effluent shall be treated after its initial passage through Oil and grease trap.

IV. Noise and Vibration monitoring and preservation

- I. The peak particle velocity at 500m distance or within the nearest habitation, whichever is closer shall be monitored periodically as per applicable DGMS guidelines.
- II. The Project Proponent shall take measures for control of noise levels below 85 dBA in the work environment. The workers engaged in operations of HEMM etc. should be provided with ear plugs/muffs. All personnel including laborers working in dusty areas shall be provided with protective respiratory devices along with adequate training, awareness and information on safety and health aspects. The PP shall be held responsible in case in has been found that workers/personals/laborers are working without personal protective equipment.

V. Mining plan

I. The Project Proponent shall get the Final Mine Closure Plan along with Financial Assurance approved from Indian Bureau of Mines/Department of Mining & Geology as

- required under the provision of the MMDR Act, 1957 and Rules/Guidelines made there under.
- II. The land-use of the mine lease area at various stages of mining scheme as well as at the end-of-life shall be governed as per the approved Mining Plan. The excavation vis-à-vis backfilling in the mine lease area and corresponding afforestation to be raised in the reclaimed area shall be governed as per approved mining plan.

VI. Land Reclaimation

- I. The Overburden (O.B.) generated during the mining operations shall be stacked at earmarked OB dump site(s) only and it should not be kept active for a long period of time.
- II. The reclamation of waste dump sites shall be done in scientific manner as per the Approved Mining Plan cum progressive Mine Closure Plan.
- III. Garland drain and bund along with settling tank will be maintained in the boundary side and around dump to prevent siltation of low-lying areas and in rush of water into the mine.
- IV. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
- V. The top soil, if any, shall temporarily be stored at earmarked site(s) within the mine lease only and should not be kept unutilized for long.
- VI. The proposed land use plan of the mine is as follows:

Level of Exploration	Area in Ha	Area utilized	
	Forest	Non-Forest	
G1(Ha)	0.0000	0.0000	0.0000
G2(Ha)	0.0000	2.0600	2.0600
G3(Ha)	0.0000	0.0000	0.0000
G4(Ha)	0.0000	0.0000	0.0000
Area proved as non- mineralized	0.0000	4.4500	4.4500
Area to be explored	0.0000	0.0000	0.0000
Total	0.0000	6.5100	6.5100

VII. Transportation

- In such cases, PP shall construct a 'bypass' road for the purpose of transportation of the minerals leaving an adequate gap (say at least 200 meters) so that the adverse impact of sound and dust along with chances of accidents could be mitigated. Vehicular emission shall be kept under control and regularly monitored. Project should obtain Pollution Under Control (PUC) certificate for all the vehicles from authorized pollution testing centers.
- II. The Main haulage road within the mine lease should be provided with a water sprinkling arrangement for dust suppression. Other roads within the mine lease should be wetted regularly with tanker-mounted water sprinkling system. The other areas of dust generation like mineral processing zone, material transfer points, material yards etc. should invariably be provided with dust suppression arrangements.

VIII. Green Belt

- 1. Peripheral plantation all around the project boundary shall be carried out using tall saplings of minimum 1.5 meters height of species which are fast growing with thick canopy cover preferably of perennial green nature. As proposed in the landscape plan & EMP a minimum of 3230 trees out of which 2000 shall be planted in barrier zone and rest is along the transportation route, govt high school imaliya, panchayat bhawan and aganwadi of imaliya.
- II. The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5 m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The proposed green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of green belt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan.
- III. The Project Proponent shall carryout plantation/afforestation in lease, around settling pond/tailing pond body, along the roadsides, in community areas etc by planting the native species in consultation with the State Forest Department/Agriculture Department/Rural development department/Tribal Welfare Department/Gram Panchayat

IX. Public hearing and human health issues

- 1. The Project Proponent shall appoint an Occupational Health Specialist for Regular as well as Periodical medical examination of the workers engaged in the mining activities, as per the DGMS guidelines. The records shall be maintained properly.
- II. The proponent shall also create awareness and educate the nearby community and workers for sanitation, Personal Hygiene. Hand washing, not to defecate in open. Women Health and Hygiene. Hand washing, not to defecate in open. Women Health and Hygiene (Providing Sanitary Napkins), hazard of tobacco and alcohol use. The Proponent shall carryout base line HRA for all the category of workers and thereafter every five years.

- III. The Project Proponent shall ensure that Personnel working in dusty areas should wear protective respiratory devices and they should also be provided with adequate training and information on safety and health aspects.
- IV. The activities proposed in Action plan prepared for addressing the issues raised during the Public Hearing shall be completed as per the budgetary provisions mentioned in the Action Plan and within the stipulated time frame. The Status Report on implementation of Action Plan shall be submitted to the concerned Regional Office of the Ministry along with District Administration.

X. EMP& Corporate Environment Responsibility (CER)

- I. For Environment Management Plan PP has proposed Rs. ₹113.507 lakhs as capital and Rs. 19.6357 Lakhs as recurring cost for this project.
- II. For this project PP has proposed Rs 21 Lakhs as Corporate Environment Responsibility (CER) for remaining project component apart from the existing ongoing activities
- III. The activities and budget earmarked for Corporate Environmental Responsibility (CER) as per Ministry's O.M. No. 22-65/2017-IA.II(M) dated 01/5/2018 or as proposed by SEAC should be kept in a separate bank account. The activities proposed for CER shall be implemented in a time bound manner and annual and annual report of implementation of the same along with documentary proof viz. photography's. Purchase documents, latitude & longitude of infrastructure developed & road constructed needs to be submitted to Regional Office MoEF&CC annually along with audited statement.
- IV. Project Proponent shall keep the funds earmarked for environmental protection measures in a separate count and refrain from diverting the same for other purpose. The Year wise expenditure of such funds should be reported to the MoEFCC and its concerned Regional Office.

XI. Miscellaneous

- 1. The Project Authorities should inform to the Regional Office regarding date of financial closures and final approval of the project by the concerned authorities and the date of start of land development work.
- II. The project Proponent shall submit six monthly compliance report on the status of the implementation of the stipulated environmental safeguards to the MoEFCC & it concerned Regional Office, Central Pollution Control Board and State Pollution Control Board.
- III. A separate 'Environmental Management Cell' with suitable qualified manpower should be set-up under the control of a Senior Executive shall directly report to Head of the Organization. Adequate number of qualified Environmental Scientist and Mining Engineers shall be appoi

<u>Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:</u>

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

- 1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
- 2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
- 4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
- 6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
- 7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
- 8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
- 9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
- 10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM
- 11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
- 13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
- 15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
- 16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
- 17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- 18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
- 19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
- 20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
- 21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.

- 22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
- 24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
- 25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
- 26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
- 29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
 - f. Plantation and CER activities.
- 30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
- 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- 34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
- 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
- 37. The project proponent shall comply the MOEF&C's O.M. dated 24 July 2024 for ensuring plantation.
- 38. लीज क्षेत्र के अंदर में केवल क्रेशर /एम-सेंड प्लांट स्थित है, परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन करेगा।
 - खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।

• म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।

39. कशर अथवा एम सेंड प्लान्ट प्रस्तावित नही है ,परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन करेगा।

- परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट/ एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नही है, अतः लीज क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमति नही दी जा सकेगी।
- खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
- म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।

40. यदि आवंटित खनन पट्टा भू-स्वामी की सहमति /अनुबंध पर हो तो परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगा।

1. क्षतिपूर्ति के संबंध में:-

- म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियों को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
- म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम,06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमित धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमित धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्तो का पालन भू-प्रवेश अनुमित के पूर्व सुनिश्चित किया जावें।

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

- 1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
- 2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
- 4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
- 5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
- 7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
- 8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
- 9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
- 10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
- 11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
- 12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the

- MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
- 13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
- 14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
- 15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
- 16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
- 18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
- 19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- 21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
- 22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
- 23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
- 24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
- 25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
- 27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - d. Minable Potential of sand mine.
 - e. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - f. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
- 30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.

- vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
- vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
- viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
- 31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- 34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
- 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
- 37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) "from the river......bank" shall be restricted should be followed in verbatum as the para says.
- 38. The project proponent shall comply the MOEF&C's O.M. dated 24 July 2024 for ensuring plantation.
- 39. विगत वर्षो में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तो का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।

पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तो का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयाविध में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया